सप्तदश माला, खंड 25, अंक 6 **गुरुवार, 27 जुलाई, 2023**

5 श्रावण, 1945 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 25 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

<u>सम्पादक मंडल</u>

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

ब्रजेश कुमार
संयुक्त निदेशक

संदीप कुमार
उप निदेशक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) **आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 25, बारहवां सत्र, 2023 / 1945 (शक)
अंक 6, गुरुवार, 27 जुलाई 2023 / 5 श्रावण 1945 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 101	12-14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 102 से 120	16
अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380	16
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
मर्यादा बनाए रखना और सदन को सुचारू रूप से चलने देना	15

सभा पटल पर रखे गए पत्र 18-23

राज्य सभा से संदेश 24-25
और
राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

83वें से 90वां प्रतिवेदन 26

वित्त संबंधी स्थायी समिति
59वें से 65वां प्रतिवेदन 27-28

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति
32वें से 35वांप्रतिवेदन 29

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति
48वें से 50वां प्रतिवेदन 30

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 31-32

(1)(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 301वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 31

(ख) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 314वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 31

(ग) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों (2022-23) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 317वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 31-32

जनरल (सेवानिवृत्त) डॉक्टर वी.के. सिंह

(2) भारत की विदेश नीति में नवीनतम घटनाक्रम

डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर 65-75

अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 78-79

नियम 377 के अधीन मामले 36-64

(एक) झारखंड के लातेहार जिले में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सिंह 36-37

(दो) उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 पर पुल के निर्माण में तेजी लाने के बारे में

श्री तीरथ सिंह रावत 38

(तीन) खांडेश एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डॉ. हीना विजयकुमार गावीत 39

(चार) झारखंड में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना में सी.बी.आई जांच कराए जाने की आवश्यकता

श्री संजय सेठ 40

(पांच) भू-स्वामियों की अनुमति के बिना विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा निजी भूमि पर बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने के बारे में

डॉ. ढाल सिंह बिसेन 41

(छह) उत्तर प्रदेश में मेंथा उद्योग की शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता

डॉ. संघमित्रा मौर्या 42

(सात) शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या

731 के निर्माण में कथित अनियमितताओं के बारे में

श्री अरुण कुमार सागर 43

(आठ) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 का लोप किए जाने के बारे मे

श्री विजय बघेल 44

(नौ) बोलंगीर, ओडिशा में खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव 45

(दस) मध्य प्रदेश में मक्सी - रूठियाई रेलवे लाइन का दोहरीकरण किए जाने के बारे में

श्री रोड़मल नागर 46

(ग्यारह) डीआईएसएचए बैठकों के दौरान विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही या अनियमितता के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संसद सदस्यों को शक्ति प्रत्यायोजित किए जाने की आवश्यकता

श्री विनोद कुमार सोनकर 47

(बारह) बालुरघाट में चेक डैम का निर्माण पूरा किए जाने की आवश्यकता

डॉ. सुकान्त मजूमदार 48

(तेरह) एक राष्ट्र - एक मतदाता पहचान पत्र के बारे में

श्री भोला सिंह 49

(चौदह) महाराष्ट्र के गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी बारिश के कारण प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक महादेवराव नेते 50

(पंद्रह) गोरखपुर से श्रावस्ती तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 को चार

	लेन का बनाए जाने के बारे में **श्री जगदम्बिका पाल**	51
(सोलह)	असम में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किए जाने के बारे में **श्री गौरव गोगोई**	52
(सत्रह)	केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (रामनट्टुकरा - एडप्पल्ली) पर छोटे वाहन के लिए भूमिगत अंडरपास, सर्विस रोड और फुट ओवरब्रिज प्रदान किए जाने की आवश्यकता **श्री टी. एन. प्रतापन**	53
(अठारह)	कन्नूर और कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों से उड़ान सेवाओं को बढ़ाए जाने और कन्नूर हवाईअड्डे को प्वाइंट ऑफ कॉल लिस्ट में भी शामिल किए जाने की आवश्यकता **श्री के. मुरलीधरन**	54
(उन्नीस)	विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति के लिए एक समय सीमा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता **श्री एस. रामलिंगम**	55
(बीस)	दक्षिण बारासात रेलवे स्टेशन पीडब्ल्यू रोड से ध्रुबचंद हालदार कॉलेज तक की सड़क को रेलवे मेंटेनेंस मैप के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने और सड़क के पुनर्निर्माण के लिए निधि भी जारी किए जाने की आवश्यकता **श्रीमती प्रतिमा मंडल**	56
(इक्कीस)	अनकापल्ले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापित किए जाने के बारे मे **डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती**	57
(बाइस)	महाराष्ट्र के बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खमगांव और जालना के बीच रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	

श्री प्रतापराव जाधव 58

(तेईस) गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को शामिल किए जाने के बारे में

डॉ. आलोक कुमार सुमन 59

(चौबीस) एस.सी., एस.टी. ओ.बी.सी., एस.ई.बी.सी. और ई.डब्ल्यू.एस. छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में

श्रीमती मंजुलता मंडल 60

(पच्चीस) उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के बारे में

कुंवर दानिश अली 61

(छब्बीस) विकास योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित स्थानीय निकायों की बैठक में संसद सदस्यों द्वारा नामित प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रिंस राज 62

(सत्ताईस) फसल बीमा योजना को लागू करने और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई किए जाने की आवश्यकता

श्री हसनैन मसूदी 63

(अट्ठाईस) डी.सी रेलगाड़ी को फिर से शुरू करने और गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न ट्रेनों को ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री चंद्र प्रकाश चौधरी 64

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित	82-97
विचार के लिए प्रस्ताव	94
श्री पीयूष गोयल	88-94
श्री राजेन्द्र अग्रवाल	82-85
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती	85-87
श्री मलूक नागर	87-88
खंड 2 से 4 और 1	95
पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव	97
निरसन और संशोधन विधेयक, 2022	98-745
विचार के लिए प्रस्ताव	98
श्री अर्जुन राम मेघवाल	98, 99-100
श्री सुभाष चंद्र बहेरिया	98-99
खंड 2 से 4 और 1	100
पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव	102

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

<u>गुरुवार, 27 जुलाई, 2023 / 5 श्रावण, 1945 (शक)</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

प्रश्न का मौखिक उत्तर[1]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 101, डॉ. निशिकांत दुबे जी

… (व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.00½ बजे</u>

[अनुवाद]

इस समय, श्री बी. मणिकम टैगोर, सुश्री महुआ मोइत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

[हिंदी]

(प्रश्न संख्या 101)

डॉ. निशिकांत दुबे : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल हाइवे का एक बड़ा काम हो रहा है।… (व्यवधान) ऐसा कोई पार्लियामेंट्री क्षेत्र नहीं है, जहां बड़ा काम नहीं हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी एक बड़ी पीड़ा बताना चाहता हूं।… (व्यवधान) एनएचएआई को भारत सरकार ने बनाया है और इसका अपना काम भी है। यह बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन एनएच का जो काम है, उसे स्टेट की पीडब्ल्यूडी करती है।… (व्यवधान) जब उस काम को स्टेट की पीडब्ल्यूडी करती है तो उसके ऊपर मिनिस्ट्री का कोई भी अधिकार नहीं रहता है और उसके ऊपर कोई बंधन भी नहीं रहता है।… (व्यवधान)

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। एनएच 114ए पर माननीय मंत्री जी ने आज से पांच साल पहले चार फ्लाईओवर्स का निर्माण किया था।... (व्यवधान) उसी तरह एनएच 133 पर एनएचएआई आधे पर चार लेन का प्रोजेक्ट बना रही है और एनएच आधी रोड बना रही है।... (व्यवधान) इसके बावजूद भी पांच साल में वे चार फ्लाइओवर्स नहीं बने हैं। एनएच 133 पर जो फ्लाईओवर बनना है, वह अभी तक नहीं बन पाया है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे यहां एनएच पर कैसे फ्लाईओवर्स बनेंगे और इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? ... (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी: माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य निशिकांत दुबे ने जो जानकारी दी है, वह सही है।... (व्यवधान) विशेष रूप से प्रदेश में स्टेट पीडब्ल्यूडी की ओर से काम होता है। यह टेंडर निकाला गया था। कॉन्ट्रैक्टर के स्लो प्रोग्रेस के कारण उसे टर्मिनेट किया गया था।... (व्यवधान) अब नया टेंडर निकाला गया है। इस नए टेंडर को निकालने में काफी देरी हुई है। इसमें जो देरी हुई है, वह हमारी मिनिस्ट्री में हुई है या स्टेट की पीडब्ल्यूडी में हुई है, इसकी इन्क्वायरी की जाएगी।...(व्यवधान) काफी प्रमाण में यहां देरी हुई है। समय का बंधन होना चाहिए। इसके कारण ही स्वाभाविक रूप से सम्माननीय सदस्य को चाहे मिनिस्ट्री के हों या स्टेट के पीडब्ल्यूडी के हों, उनके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करेंगे।... (व्यवधान) यह सवाल पूछना पड़ा है। उसकी इन्क्वायरी होगी।... (व्यवधान) आज जिन्होंने देरी की है, वह

कंस्ट्रक्शन के लिए जो आरओबी हैं, इसको भी हमने 31.3.2021 को सैंक्शन किया था।... (व्यवधान) अभी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया गया है और नई एजेंसी को पक्का किया जा रहा है। अब जल्दी ही नई एजेंसी के द्वारा काम शुरू होगा, ऐसा विश्वास मैं आदरणीय सदस्य को देना चाहता हूं।... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाइवे अथॉरिटी और एनएच जो रोड बना रही है, वह बहुत बेहतरीन रोड बन रही है, जिसमें स्पीड के लिमिट होने के बाद भी गाड़ियां तेजी से चलती हैं।... (व्यवधान) मैं वहां दो प्रॉब्लम्स देख पा रहा हूं। एक तो सड़क के किनारे जो लोग घर बना लेते

हैं, उसको एनएचएआई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दूसरा यह है कि जो स्पीड ब्रेकर है, वह जगह-जगह पर लगा दिया जा रहा है और यह रात में दिखाई नहीं देता है।... (व्यवधान)

तीसरा, जानवर का एक बड़ा विषय है, जो मेरे यहां भी है।... (व्यवधान) मैं अभी अखबारों में भी लगातार देख रहा हूं। खजुराहो वाला जो नेशनल हाइवे बना है, उसके बारे में मैं लगातार देख रहा हूं।... (व्यवधान) इन तीन प्रॉब्लम्स के बारे में मंत्रालय क्या सोच रहा है और भविष्य में वह किस प्रकार की कार्रवाई करने वाला है? ... (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी: अध्यक्ष महोदय, एक बात सही है कि हमने मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों में अच्छे हाइवेज बनाए हैं। ... (व्यवधान) रात को वहां के किसान जानवरों को छोड़ देते हैं और वे रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं। इसके कारण ही एक्सीडेंट्स होते हैं।... (व्यवधान) निश्चित रूप से राज्य सरकारों को इसके बारे में कानून बनाने और जानवरों को रोकने के लिए कहा जाएगा।... (व्यवधान)

दूसरी बात, रोड की क्वालिटी सुधारने के कारण एक्सीडेंट्स की जो संख्या बढ़ रही है, इसके बारे में हम रोड सेफ्टी का ऑडिट भी कर रहे हैं।... (व्यवधान) हमारे सम्माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, हम रोड सेफ्टी के बारे में काफी सजग हैं। निश्चित रूप से हर रोड का सेफ्टी ऑडिट करके हम इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे।... (व्यवधान) इसके बारे में हमने उपाय करने और योजना बनाने के प्रायरिटी दी है। इसके ऊपर जनता के सहयोग से निश्चित रूप से अमल किया जाएगा। ... (व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.05 बजे</u>

<u>अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी</u>

मर्यादा बनाए रखना और सदन को सुचारू रूप से चलने देना

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस संसद की, इस सदन की श्रेष्ठ परम्परायें रही हैं, उच्च परम्परायें रही हैं, उच्च मर्यादा रही है, लेकिन आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, वह हमारे लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। मैं आप सबसे पुन: आग्रह करता हूं कि सदन की गरिमा, मर्यादा, उच्च परम्परायें बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको लोगों ने चुनकर इसलिए भेजा है कि उनके अभाव, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी भावनाओं को सदन में रखें। आप यहां नारेबाजी करते हैं, प्लेकार्ड लगाते हैं, माननीय मंत्री जी के आगे प्लेकार्ड लगाते हैं, कोई माननीय सदस्य वेल में आकर स्पीकर से चर्चा करना चाहते हैं, यह तरीका उचित नहीं है और यह संसदीय परम्पराओं के अनुरूप भी नहीं है। इन संसदीय परम्पराओं को, जो श्रेष्ठ रही हैं, पूरा देश आपके इस आचरण को देख रहा है। आप इसे कहां ले जाना चाहते हैं? अच्छी चर्चा करिए, संवाद करिए। मैं हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा, लेकिन यह व्यवहार उचित नहीं हैं। आपका यह व्यवहार संसदीय परम्पराओं के अनुरूप नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। आप यहां पर क्या व्यवहार कर रहे हैं? पूरा देश आपको देख रहा है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे तो मैं सदन इस तरीके से चलाने वाला नहीं हूं।

[2]* <u>प्रश्नों के लिखित उत्तर</u>
(तारांकित प्रश्न सं. 102 से 120 तक
अतारांकित प्रश्न सं. 1151 से 1380)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>पूर्वाह्न 11.07 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

(डॉ. (प्रो.) किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी *पीठासीन हुए*)

(हिंदी)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की नोटिस प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.00½ बज</u>

<u>(अनुवाद)</u>

इस समय, श्री कल्याण बनर्जी, श्री कोडिकुन्नील सरेश, श्री गौरव गोगोई और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

(हिन्दी)

माननीय सभापति: मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने-अपने स्थान पर चले जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अपने स्थान पर चले जाइए।

… (व्यवधान)

<u>**अपराह्न 2.01 बजे**</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर -2, श्री वी.के. सिंह जी।

(अनुवाद)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी. के. सिंह: महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी.9722/17/23]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति: (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)

(एक) ए.आई. एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ए.आई. एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी.9723/17/23]

... (व्यवधान)

(हिंदी)

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी दामोदर घाटी निगम (निगम के अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव का वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 2023, जो 12 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 433(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, अंक(सं) एल.टी. 9724/17/23 देखें]

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुँच द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का संप्रवर्तन करना) (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 23 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 381(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023 जो 14 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 437(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विद्युत (संशोधन) नियम, 2023 जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 466(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय विद्युत योजना अधिसूचना (संशोधन) नियम, 2023 जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 467(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली से कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुँच) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/261/2021/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2023 जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/265/2022/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी.9725/17/23]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी.9726/17/23]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): सभापति महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम संस्थापनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) संशोधन विनियम, 2023 जो 29 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा. सं. पीएनजीआरबी/टैक/7-टी4एसपीआई/(1)/2022(पी-4116) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, अंक(सं) एल.टी. 9727/17/23 देखें]

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार हेतु संस्थाओं को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2023 जो 29 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधि/1-सीजीडी(08)/2020(पी-894) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, अंक(सं) एल.टी. 9728/17/23 देखें]

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का अवधारण) संशोधन विनियम, 2023 जो 28 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएनजीआरबी/कॉम/10-एनजीपीएल टैरिफ (11)/2022(पी-4142) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9729/17/23)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय श्री कौशल किशोर जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी.9730/17/23]

(3) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, अंक(सं) एल.टी. 9731/17/23 देखें]

(4) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत मेट्रो रेल (कैरिज और टिकट) संशोधन नियम, 2023, जो 29 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 395(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, अंक(सं) एल.टी. 9732/17/23 देखें]

(5) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता) (संशोधन)

विनियम, 2023, जो 15 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. एलएम/पीएम/0003/2021/उदय/एलजीएल/157 में प्रकाशित हुए थे, की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण में) जो 24 मई, 2023 की अधिसूचना सं. फा.सं. एलएम/पीएम/0003/2021/उदय/एलजीएल में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी.9733/17/23]

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.02 बजे</u>

(अनुवाद)

राज्य सभा से संदेश तथा राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक[3*]

महासचिव:महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देना चाहता हूँ:-

‘मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्यसभा ने 26 जुलाई 2023 को हुई अपनी बैठक में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 जिसे लोक सभा द्वारा 16 दिसंबर 2022 को हुई बैठक में पारित किया गया था को निभ्नलिखित संशोधनों के साथ पारित कर दिया है: -

<u>अधिनियमन सूत्र</u>

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "तिहत्तरवें" शब्द, के स्थान पर "चौहत्तरवें " शब्द, ***<u>प्रतिस्थापित किया जाए</u>***

<u>खण्ड 1</u>

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4पर, ***<u>शब्द,</u>*** कोष्ठक और अंक "(तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2022" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक "(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023" ***<u>प्रतिस्थापित किए जाएं</u>***।

अतः मैं उक्त विधेयक को राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसार इस अनुरोध के साथ वापस भेज रहा हूं कि उक्त संशोधनों पर लोक सभा की सहमति इस सदन को सूचित की जाए।"

[3*] सभापटल पर रखा गया

मैं संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022, लोक सभा द्वारा यथापारित, तथा राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाए गए रुप में सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.02½ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

83^{वां} से 90^{वां} प्रतिवेदन

(हिंदी)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 83वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'रेल मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 84वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 85वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) 'सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 86वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (स्वीकृत)' के बारे में 87वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (अस्वीकृत)' के बारे में 88वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(7) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (स्वीकृत)' के बारे में 89वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(8) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (अस्वीकृत)' के बारे में 90वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.03 बजे</u>

<u>वित्त संबंधी स्थायी समिति</u>

59वें से 65वां प्रतिवेदन

(अनुवाद)

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय से संबन्धित 'साइबर सुरक्षा और साइबर/व्हाइट कॉलर अपराधों की बढ़ती घटनाएँ ' विषय के बारे में उनसठवां प्रतिवेदन।

(2) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबन्धित 'बिग-टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार' विषय के बारे में तिरपनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी साठवां प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग , व्यय विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग , निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा लोक उद्यम विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में चौवनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी इकसठवां प्रतिवेदन।

(4) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में पचपनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी बासठवां प्रतिवेदन।

(5) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में छप्पनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी तिरसठवां प्रतिवेदन।

(6) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में सत्तावनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी चौंसठवां प्रतिवेदन।

(7) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में अट्ठावनवे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी पैंसठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.03¼ बजे

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

32वें से 35वां प्रतिवेदन

(हिंदी)

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा (छोटा उदयपुर): सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:-

(1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

(3) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

(4) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.03½ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

48वें से 50वां प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:-

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

(2) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) से संबंधित 'विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

(3) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में समिति के 45वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

<u>**अपराह्न 2.04 बजे**</u>

<u>*(अनुवाद)*</u>

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1)(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 301वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[4*]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी. के सिंह: महोदय, मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 301वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं

(ख) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 314वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी. के. सिंह: महोदय, मैं नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 314वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं

(ग) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 317वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[5*]

[4*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या क्रमश:एल.टी 9719/17/23 और एल.टी 9720/17/23।

[5*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9721/17/23।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह: महोदय, मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 317वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं

<u>**अपराह्न 2.05 बजे**</u>

अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023[6*]

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, मैं अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(हिंदी)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

… (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय सभापति जी, मैं इस बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध रूल और रैगुलेशन्स के नियम 72 के अंतर्गत कर रहा हूं। सैंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 21 के अंतर्गत 51एजी को लेकर इस बिल को देखने की जरूरत है।... (व्यवधान) इसमें राष्ट्रीय प्राकृतिक सम्पदाओं की माइनिंग, खास तौर से सी-माइनिंग, देश के रिसोर्सिस और एन्वायर्नमेंट को पूरी तरह से ध्वस्त करने का कार्य करेगी। आर्टिकल 21 का पूरी तरह से उल्लंघन है और 51एजी के तहत भी पूरा उल्लंघन है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मनीष तिवारी जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

[6*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 27.7.2023 में प्रकाशित।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय सभापति जी, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ... (व्यवधान) बात यह है कि सारा सदन जानता है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप इस बिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपकी क्या आपत्ति है?

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन दे चुके हैं और यह मूव भी हो चुका है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सौगत राय जी ।

… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मणिपुर के बारे में चर्चा होनी चाहिए। … (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी को आना चाहिए। … (व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, यह एक तथ्य है और इस संबंध में कानूनी स्थिति बिलकुल स्पष्ट है कि विधेयक को पुर:स्थापित करने का विरोध केवल विधायी क्षमता पर नियम 72 के तहत किया जा सकता है। अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 जिसे पेश करने का प्रस्ताव है, का आशय ओएमडीआर अधिनियम, 2022 में संशोधन करना है, जिसे भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत प्रविष्टि 54, सूची एक अर्थात् केंद्रीय सूची के तहत संसद की अनन्य शक्ति के तहत अधिनियमित किया गया था। प्रविष्टि में कहा गया है कि खानों और खनिज विकास का विनियमन उस सीमा तक जिस हद तक संघ के नियंत्रण में इस तरह के विनियमन और विकास को संसद द्वारा कानून द्वारा सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया गया है।… (*व्यवधान*)

इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 297 में कहा गया है कि अपतटीय क्षेत्रों में विद्यमान सभी खनिज संघ में निहित होंगे। अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों पर राज्यों का कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए, यहां विधायी क्षमता का कोई सवाल ही नहीं है। … (*व्यवधान*)

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में एलॉटमेंट के रूट से 'फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व' डिस्क्रीशन रूट से एलॉटमेंट की जाती थी।… (व्यवधान) इन लोगों ने एलॉट किया, बाद में इल्लीगल के कारण सीबीआई इंक्वायरी हुई, चार्जशीट हो गई, सब कुछ हो गया। … (व्यवधान) अब हम नीलामी की एक स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संशोधन के माध्यम से हम यही करना चाहते हैं। विधायी क्षमता का सवाल ही नहीं उठता। संसद को पूर्ण विधायी शक्ति प्राप्त है । इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(हिंदी)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अनुवाद)

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, मैं [7] विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

[7] राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

<u>अपराह्न 2.10 बजे</u>

नियम 377 के अधीन मामले[8]

(हिंदी)

माननीय सभापति : नियम-377 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में अध्यक्ष-पीठ द्वारा की जाने वाली घोषणा में जिन माननीय सदस्यों को आज नियम-377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत् रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

(एक) झारखंड के लातेहार जिले में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): संसदीय क्षेत्र चतरा अत्यंत पिछड़ा और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र (एल.डब्लू.ई) है। लातेहार जिला अन्तर्गत प्रखण्ड बरवाडीह अत्यन्त नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस प्रखण्ड में शिक्षा का घोर अभाव है। आर्थिक पिछडेपन, अशिक्षा, नक्सलियों का दंश क्षेत्र को अंधकार की ओर ले जा रहा हैं । मण्डल रेल प्रबंधक, धनबाद द्वारा लातेहार जिला अन्तर्गत प्रखण्ड बरवाडीह में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन को भेजा जा चुका हैं। रेल मंत्रालय द्वारा इसके लिए जमीन भी प्रदान कर दी गई है। अब मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास विचाराधीन है। इस प्रखण्ड में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना होती है तो महुआडॉड, गारू, भंडरीया, गढ़वा एवं छिपादोहर आदि प्रखण्डों के पिछड़े क्षेत्र के बाल -बालिकाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा । अतः

---

[8] सभा पटल पर रखे गए माने गए।

मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह है कि लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखण्ड में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की दिशा में शीघ्र अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

(दो) उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 पर पुल के निर्माण में तेजी लाने के बारे में

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): मैं सरकार का ध्यान केंद्र के द्वारा रामनगर (नैनीताल) के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 309 पर धनगढ़ी नाले पर पुल निर्माण की स्वीकृति दिए जाने के संदर्भ में आकर्षित करना चाहता हूं। साथ ही इस बात की जानकारी भी देना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट पर टेंडर प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई थी, परंतु यह प्रक्रिया अभी भी बाधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण बरसात के दिनों में पुल नहीं बनने से लोगों को रामनगर आने के लिए काफी परेशानी होती है और वाहन के आवागमन में भी हमेशा समस्या होती है। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष रामनगर के निकट धनगढ़ी नाला बरसात में विकराल रूप ले लेता है और प्रतिवर्ष अनेक वाहनों के बहने और जनहानि की घटनाएं होती है। पूर्व में राज्य सरकार व जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इस पुल के निर्माण के निरंतर प्रयास किए गए । परंतु वे अपने कार्य में सफल नहीं हुए ।

धनगढ़ी पुल के निर्माण के बाद बरसात के मौसम में रामनगर और पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात् गढ़वाल और कुमाऊं के वाहनों को आने और जाने में निर्बाध आवागमन जारी रहेगा और कोई जन एवं संपत्ति की हानि भी नहीं होगी । मैं भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड ऑल वेदर रोड सहित राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य प्रगति से करने के लिए धन्यवाद करता हूं और इसके कारण आने वाले वर्षों में उत्तराखंड की यात्रा पूरी तरह से सहज और सुगम हो जाएगी । मैं केंद्र सरकार से धनगढ़ी पुल के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का आग्रह करता हूं, जिससे लोगों को रामनगर आने और जाने में कोई परेशानी ना हो ।

(तीन) खांडेश एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डॉ. हीना विजयकुमार गावीत (नंदूरबार):रेलगाड़ी संख्या 19003खांडेश एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस और भुसावल जंक्शन के बीच चलती है, हाल के दिनों में इस ट्रेन में चोरी के मामलों में वृद्धि देखी गई है। ट्रेन में रोजाना बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। इस ट्रेन में बार-बार चोरी और डकैती की शिकायतें मिल रही हैं, ये अपराधी एक गिरोह के रूप में काम करते हैं और वे यात्रियों का सामान चुराने के बाद चेन खींचकर निकटतम स्टेशन पर उतर जाते हैं। ये घटनाएं ज्यादातर भेस्तान क्षेत्र में हो रही हैं जो खांडेश एक्सप्रेस के लिए एक हॉल्ट स्टेशन भी है। मैंने पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक और रेलवे पुलिस दोनों के साथ इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने मुझे इन गिरोहों पर कार्रवाई करने और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया था। परंतु अब तक इज़ दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और चोरी और लूट के मामलों में कोई कमी नहीं आई है जिससे इस ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों में भय और आशंका का माहौल बन गया है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया खां◌ंडेश एक्सप्रेस में चोरी के बढ़ते मामलों पर ध्यान दें और इन घटनाओं के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें और बाधामुक्त व सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और संरक्षा उपाय करें।

(चार) झारखंड में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना में सी.बी.आई जांच कराए जाने की आवश्यकता

श्री संजय सेठ (राँची): 1976 में संयुक्त बिहार था। उस समय झारखंड के चांडिल में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना लाई गई। उस परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर बड़ा बांध बनाना था, और इससे बिजली उत्पादन, सिंचाई सहित कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना था। परियोजना को आए हुए 45 साल से अधिक हो गए परंतु अब तक यह परियोजना पूर्ण नहीं हो पाई। 1976 में 150 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई परियोजना आज 14 हजार करोड रुपए से अधिक लागत की हो चुकी है। बावजूद इसके न तो विस्थापितों को न्याय मिल पाया ना तो यह परियोजना पूर्ण हो पाई। परियोजना के कारण 116 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए और इसके 19000 से अधिक परिवार विस्थापित हुए। आज भी जब बरसात का पानी डैम पर बढ़ता है तो इस क्षेत्र के सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं। इस पर अब कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी तक हुए कार्यों की सीबीआई से जांच कराई जाए ताकि विस्थापितों को न्याय मिल सके। परियोजना पूर्ण हो सके और आम जनता जो डैम को लेकर हमेशा दहशत में रहती है, वह भी सामान्य जीवन जी सके। इस पूरी परियोजना की जांच सीबीआई के माध्यम से कराई जाए।

(पांच) भू-स्वामियों की अनुमति के बिना विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा निजी भूमि पर बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने के बारे में

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अपने पोल, ट्रांसफार्मर आदि निजी/शासकीय भूमि पर बिना भूमिस्वामी के संज्ञान या सहमति के उनकी भूमि पर लगा लेते हैं इसके बदले ये कंपनी भूमि स्वामी को कोई मुआवजा या किराया नहीं देती है। यदि बाद में मूल भूमि स्वामी इसी भूमि पर किसी निर्माण या अन्य उपयोग लिए अपनी भूमि पर लगे पोल, ट्रांसफार्मर आदि को हटवाना चाहते हैं तो कंपनी नहीं हटाती है। यदि हटाती भी है तो भारी धनराशि इसके बदले भूमिस्वामी से लेती है। यहां तक कि विद्युत कंपनी शासकीय विभागों से भी शिफ्टिंग के लिए राशि लेती है। इससे किसान या भूमिस्वामी काफी आर्थिक एवं मानसिक परेशानी से जूझता है। विद्युत कंपनियों की अनापत्ति के अभाव में अनेक शासकीय निर्माण तक प्रभावित होते हैं। अतः जनहित में मैं मांग करता हूं कि विद्युत कंपनियां ट्रासफार्मर, पोल एवं अन्य कार्य के लिए भूमि स्वामी को किराया स्वरूप राशि दे या इस पर पोल/ट्रांसफार्मर आदि न लगाये।

(छह) उत्तर प्रदेश में मेंथा उद्योग की शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): मैं अपने संसदीय क्षेत्र बदांयू व उत्तर प्रदेश के 8-9 जिलो के मेंथा व्यापारियों की परेशानी से अवगत कराना चाहती हूं। मेंथा उद्योग कृषि आधारित निर्यातोन्मुखी उद्योग है। सम्पूर्ण भारतवर्ष के 85% मेंथा की फसल उत्तर प्रदेश के 8-9 जिलों में विशेष रूप से होती है। इसमें लाखों किसान, ग्रामीण मजदूर, एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत आने वाली 500 से अधिक निर्माता तथा निर्यातक इकाइयां, अनेक स्किल्ड एवं अन-स्किल्ड कर्मचारी कार्यरत हैं। मैंथा के 75% - 80% फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, शेष 25 % उत्पाद भारतीय घरेलू बाजार में बिकते हैं। इसका उत्तर प्रदेश में कुल उत्पादन करीब 6000/- करोड़ रूपए वार्षिक का है, जिसमें निर्यात के द्वारा लगभग 4000/- करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा प्रदेश को प्रति वर्ष प्राप्त होती है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहयोग मिलता है। वर्तमान में यह इंडस्ट्री सिंथेटिक मेंथॉल के प्रकोप से जूझ रही है, जो विदेशों द्वारा आयात किया जा रहा है और नेचुरल मेंथॉल का कोड यूज करके कंज्यूमर कंपनियां इसका उपयोग कर रही है। सरकार से अनुरोध है कि सिंथेटिक मेंथॉल का एचएसएन कोड अलग किया जाए और नेचुरल मेंथॉल का कोड अलग किया जाए तथा सिंथेटिक मेंथॉल के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया जाए और साथ ही नेचुरल मेंथॉल इंडस्ट्री को सहायता दी जाए, जिससे यह फसल बचाई जा सके और लाखों किसानों के रोजगार को तबाह होने से रोका जा सके।

(सात) शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731 के निर्माण में कथित अनियमितताओं के बारे में

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 के खंड शाहजहांपुर बाईपास से खुटार बाईपास का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेकिन कार्यदायी संस्थाएं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731 के उपखंड में कथित रूप से अत्यधिक घटिया सामग्री का प्रयोग कर रही है । जिसकी वजह से कार्य की गुणवत्ता अत्यधिक निम्न स्तर की हो गई है। घटिया निर्माण कार्य के कारण से सरकारी धन का न केवल काफी दुरुपयोग हो रहा है बल्कि सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय जनपद में शाहजहांपुर बाईपास से खुटार बाईपास तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 731 पर किए जा रहे कार्य की मंत्रालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करके विस्तृत जांच करवाकर इसमें संलिप्त तथाकथित अधिकारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए ।

(आठ)मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 का लोप किए जाने के बारे में

श्री विजय बघेल (दुर्ग): राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश दोनों राज्यों में परिसंपत्तियों का बंटवारा 74:26 अनुपात के फार्मूले के तहत हुआ, उक्त अधिनियम के धारा 49 के वजह से वर्तमान में दोनों राज्यों के लगभग 6 लाख पेंशनर परिवारों को (जिसमें मध्यप्रदेश के लगभग 5 लाख व छत्तीसगढ़ के लगभग 1 लाख पेंशनर शामिल हैं) आर्थिक स्वत्वों का भुगतान नहीं हो सकता है। महंगाई भत्ता सहित अन्य विषयों को लेकर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार, झारखंड एवम् उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में पुनर्गठन के समय स्थाई बटवारा किया गया था, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ के लिए क्यों लागू नहीं किया गया। जबकि तीनों राज्य का गठन एक साथ हुआ है। मैं यह अनुरोध करता हूँ कि उक्त धारा को छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के हित में विलोपित करने की कृपा करें।

(नौ) बोलंगीर, ओडिशा में खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलंगीर): हमारी केंद्र सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में सभी स्तरों पर खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही है और बढ़ावा दे रही है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में काफी पदक जीते हैं। ओडिशा में खेलों में सफलता की गाथा में योगदान देने की अपार संभावनाएं हैं। बोलंगीर संसदीय क्षेत्र में युवाओं की बड़ी आबादी है। ऐसे कई प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। बोलांगीर में एक खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने की जरूरत है ताकि जमीनी स्तर से युवा प्रतिभाओं को सामने लाया जा सके। वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सरकार खेलों के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देश के कई हिस्सों में खेलो इंडिया केंद्र स्थापित कर रही है। मैं युवा मामले और खेल मंत्री से बोलंगीर, ओडिशा में एक खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का अनुरोध करता हूँ।

(दस) मध्य प्रदेश में मक्सी - रूठियाई रेलवे लाइन का दोहरीकरण किए जाने के बारे में

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): संसदीय क्षेत्र राजगढ़ कृषि प्रधान होकर आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य में स्थित है। यहाँ से इन्दौर, मुंबई, गुजरात, भोपाल, नागपुर, आगरा, दिल्ली का सीधा सड़क संपर्क होने के बाद भी यह क्षेत्र आजादी के 70 सालों से विकास के लिये आशान्वित रहा है। मोदी सरकार द्वारा आशान्वित से आकांक्षी स्वरूप दिया तब जाकर विगत वर्षों में सभी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण का संकल्प सिद्ध कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। सम्पूर्ण लोकसभा क्षेत्र में पश्चिम-मध्य रेलवे के एकमात्र रेलखण्ड मक्सी- रुठीयाई रेलमार्ग को माननीय प्रधानमंत्री जी व रेलमंत्री द्वारा विद्युतीकरण की ऐतिहासिक सौगात दी गई है. इसी क्रम में रुठियाई से मक्सी रेलखंड का दोहरीकरण सर्वे आदि की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो कर स्वीकृति लिये लंबित है, जिसकी स्वीकृति होने से सारंगपुर, ब्यावरा,पचोर, नरसिंहगढ़, चांचौड़ा, कुम्भराज, रुठियाई सहित समस्त राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लाखों लोगों एवं व्यापारी वर्ग को दिल्ली से मुंबई तक की सीधी सस्ती व कम दूरी की अनेक रेल सेवाओं का लाभ मिल सकेगा एवं रेलवे को भी मालढुलाई के लिए फास्ट ट्रैक मिल सकेगा जिससे राजगढ़ के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। अतः राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जन आकांक्षाओं के अनुरूप माननीय रेलमंत्री जी से मक्सी रूठीयाई रेलखण्ड के दोहरीकरण की स्वीकृति हेतु अनुरोध करता हूँ।

(ग्यारह) डीआईएसएचए बैठकों के दौरान विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही या अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संसद सदस्यों को शक्ति प्रत्यायोजित किए जाने की आवश्यकता

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): भारत सरकार के निर्देशन में दिशा की बैठक की अध्यक्षता माननीय संसद सदस्यों द्वारा की जाती है। बैठक के दौरान विकास कार्यों एवं सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेको अनियमितताएँ सामने आती है किन्तु बैठक की अध्यक्षता करने वाले माननीय संसद सदस्यों को दोषी व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार ना होने के कारण विकास कार्य व योजनाओं में अनियमितता करने वालो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि दिशा की नियमावली में संशोधन करते हुए दिशा की बैठक के अध्यक्ष मा० संसद सदस्यों को विकास कार्य में अनियमितता व सरकारी योजनाओ सरकारी योजनाओं को लागू करने में लापरवाही करने वाले भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाए जिससे कि विकास कार्य की गुणवता में सुधार एवं जन कल्याणकारी/गरीब कल्याण की योजनाओं का शत प्रतिशत अनुपालन कराया जा सकें।

(बारह) बालुरघाट में चेक डैम का निर्माण पूरा किए जाने की आवश्यकता

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): आत्रेयी नदी जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, दक्षिण दिनाजपुर जिले तक पहुँचने से पहले बंगाल के सिलीगुड़ी से बहते हुए बांग्लादेश तक जाती है । बांग्लादेश सरकार ने अत्रेयी नदी के प्रवाह को रोकने और पानी को संग्रहित करने के लिए बांग्लादेश के दिनाजपुर शहर से लगभग 18 कि.मी. दूर 'मोहनपुर रबड़ बांध' बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप अत्रेयी नदी में पानी की भारी कमी हो गई है, जो मूलत; भारत में दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज में बांग्लादेश से प्रवेश करती है। इस पर बंगाल के दिनाजपुर में एक रबड़ बांध बना दिया गया , इसलिए कई वर्षों तक जिले की जीवन रेखा के रूप में जानी जाने वाली अत्रेयी नदी में शुष्क मौसम के दौरान पानी लगभग न के बराबर था। इसके परिणामस्वरूप किसानों और मछुआरों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग ने चेक डैम का निर्माण कराना शुरू कर दिया है। ताकि दक्षिण दिनाजपुर सहित एक बड़े क्षेत्र के किसानों की खेती संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके । सिंचाई विभाग ने बालुरघाट शहर के शमशानघाट क्षेत्र में अत्रेयी नदी पर इस चेकडैम का निर्माण शुरू कर दिया है। यह अर्ध-निर्मित चेक डैम अब शहर के निवासियों के लिए स्नान करने का एक स्थान बन गया है। यह एक दर्शनीय स्थल भी बन गया है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि बालुरघाट में चेक डैम का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

(तेरह) एक राष्ट्र - एक मतदाता पहचान पत्र के बारे में

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): मतदान को न केवल एक नागरिक कर्तव्य बल्कि एक नागरिक अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। हमें मूल मतपत्र की सुगमता सुनिश्चित करने और भूले हुए प्रवासी मतदाता को सशक्त बनाने के लिए "वन नेशन वन वोटर आईडी" की देश में शुरुआत करनी चाहिए। जिस प्रकार से देश में किसी भी उचित की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ प्राप्त करने के लिए प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को सक्षम करने के लिए "वन नेशन वन राशन कार्ड" की शुरुआत की गयी थी जो बिलकुल सफल हुई है और आज कोई भी राशन कार्ड धारक देश में किसी भी राशन की दुकान से अपना राशन ले सकता है। वन नेशन, वन वोटर लिस्ट" से चुनाव प्रक्रिया में सुधार होगा देश की चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए आधार नंबर को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की पहल की गई है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार कहा था कि हमें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए "वन नेशन, वन वोटर लिस्ट" और "वन नेशन, वन इलेक्शन" की चर्चा करते रहना चाहिए जिससे मतदान प्रक्रिया में सुधार होगा। इसलिए मैं भारत में "वन नेशन वन वोटर आईडी" की व्यवस्था की मांग करता हूँ। इसके लागू होने से सरकार के राजस्व का बहुत बड़ा अंश देशहित के अन्य कार्यों को करने के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा।

(चौदह) महाराष्ट्र के गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भाचौरी बारिश के कारण प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): मेरे आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली-चिमुर में पिछले दिनों हुई भारी वर्षा ने क्षेत्र के लोगों का जन-जीवन नष्ट कर दिया है तथा फसल की भारी तबाही हुई है। खेतों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण मार्गों में भी भारी वर्षा में पानी भरकर गया है और आवाजाही बंद हो गई है। मेरे संसदीय क्षेत्र के विशेषत: भामरागढ़, अहेरी, अल्लापल्ली तथा धनोरा के कई दर्जन गांवों का संपर्क मार्ग भी बुरी तरह से नष्ट हो गया । मैं सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि गोसीखुर्द डैम के लगभग 33 दरवाजे खोलने से क्षेत्र की सभी उप नदियां प्रभावित हुई है तथा उनमें भारी पानी के आने से क्षेत्र में काफी जन धन की क्षति हुई है। मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ष मेरे क्षेत्र में वर्षा के पानी से इसी तरह की भारी तबाही होती है। सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली में एन.डी.आर.एफ. टीम तुरंत भेज कर लोगों को राह पहुंचाए तथा वर्षा की वजह से क्षेत्र के लोगों की फसल क्षति हुई है, उसकी भरपाई के लिए धन का आवंटन किया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष होने वाली भारी वर्षा के पानी से बचाव हेतु भी उपाय किए जाएं ।

(पंद्रह) गोरखपुर से श्रावस्ती तक एन.एच. 30 को चार लेन का बनाए जाने के बारे में

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): आज भारत पूरे विश्व में तेज़ी से विकसित हो रहा है। साथ ही भारत की सभ्यता और संस्कृति को एक नई दिशा दी जा रही है। वर्तमान में पर्यटन एवं आस्था की दृष्टि से पूरे विश्व में बौद्ध परिपथ सर्किट) बनाने के निर्णय से पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के मानने वालों का ध्यान आकर्षित हुआ है। जिसके फलस्वरूप पूरे विश्व में लाखों की संख्या में बौद्ध पर्यटक उत्तर प्रदेश के सारनाथ (वाराणसी), कुशीनगर, कपिलवस्तु (सिद्धार्थनगर) एवं श्रावस्ती प्रतिदिन आते है। बौद्ध पर्यटक वाराणसी के सारनाथ से यात्रा शुरू करके कुशीनगर, कपिलवस्तु एवं श्रावस्ती होते हुए लखनऊ तक जाते है। इसी कारण से वाराणसी के सारनाथ से कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती होते हुए लखनऊ तक बौद्ध सर्किट एक्सप्रेसवे का चार लेन के सड़क मार्ग का निर्माण होना अति आवश्यक है। मैं सरकार से उक्त बौद्ध सर्किट के गोरखपुर से श्रावस्ती से पास होने वाली एन.एच 30 पर चार लेन बनाए जाने की मांग करता हूं। इसके साथ-साथ इसे बुद्ध सर्किट घोषित कर दिया जाए जिससे दुनिया के देशों से आने वाले बौद्ध पर्यटक को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी।

(सोलह) असम में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किए जाने के बारे में

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): भारत के चुनाव आयोग ने असम में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली श्री श्री बताद्रबा थान को उसके संबद्ध सत्रों और राजस्व गांवों के साथ बताद्रबा एल.ए.सी. से बाहर कर दिया है और इसे नागांव एल.ए.सी. में शामिल कर दिया है। इसके अलावा, असम सरकार ने हाल ही में मौजूदा बताद्रबा एल.ए.सी. का ढिंग एल.ए.सी. में विलय करने का निर्णय लिया है । बताद्रबा थान की पहचान उन सत्रों से जुड़ी हुई है जो शंकरदेव के दर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, सम्बद्ध राजस्व गाँव बताद्रवा विकास खंड और पूरे हातिचुंग मौजा के अंतर्गत थान के आसपास स्थित थे। लेकिन, संदर्भित प्रस्ताव में बताद्रबा एल.ए.सी. में से सत्रों और राजस्व गावों को अलग करने और इसका नाम बदलकर ढिंग एल.ए.सी. करने का विचार है जो एक स्थान के रूप में बताद्रबा के अस्तित्व और आस्था की उपेक्षा करना है। यह इसके वैभवशाली अतीत और विरासत का अनादर है। मैं भारत के माननीय प्रधान मंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूँ ताकि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू किए गए नए वैष्णववाद आंदोलन की विरासत का संरक्षण किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि असम में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के अंतिम नए परिसीमन प्रस्ताव में बताद्रवा एल ए सी का वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र बहाल रखा जाए ।

(सत्रह) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (रामनट्टुकरा - एडाप्पल्ली) पर छोटे वाहन के लिए भूमिगत अंडरपास, सर्विस रोड और फुट ओवरब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता है

श्री टी. एन. प्रथापन (त्रिशूर): एन.एच. 66 रमनट्टुकरा-एडापल्ली के चौड़ीकरण की परियोजना चल रही है।. इस राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास रहने वाले और इसका उपयोग करने वाले लोगों की सुविधा और आने जाने को लेकर बहुत सारी चिंताएँ हैं। त्रिशूर जिले में पुन्नयुरकुलम और कप्पिरिक्कादावु हिस्से के संबंध मे स्थानीय लोगों की जरूरतों और मांगों का पता लगाने के लिए परियोजना अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ मेरी समीक्षा बैठकों में, कुछ महत्वपूर्ण मांगें सामने आई हैं। पुलमपुझा कदावु में और थलिक्कुलम पंचायत में सी.एस.एम. स्कूल के पीछे छोटे वाहनों के लिए अंडरपास बानए जाने की मांग है क्योंकि ये दोनों क्षेत्र बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं। यदि एन.एच. के दोनों किनारों के बीच कोई कनेक्शन नहीं होगा , तो गांव कैनोली नदी के दो किनारों में विभाजित रहेगा । दूसरे तालिक्कुलम पंचायत के4 और 5 वार्डों में सर्विस रोड की आवश्यकता है। इस परियोजना के कई हिस्सों में सर्विस रोड का अभाव एक गंभीर चिंता का विषय है। पुन्नयुरकुलम पंचायत के मंडलमकुन्नु में एक एस.वी.यू.पी. की आवश्यकता है जहां एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है और जो एक तटीय शहर भी है। वलप्पड पंचायत के एडामुट्टम में भी एस.वी.यू.पी. की आवश्यकता है। नट्टिका पंचायत के नट्टिका केंद्र में फुट ओवर ब्रिज की मांग है। मैं संबंधित मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि इन मांगों पर विचार किया जाए और उन्हें चालू परियोजना में शामिल किया जाए।

(अट्ठारह) कन्नूर और कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों से उड़ान सेवाओं को बढ़ाए जाने और कन्नूर हवाईअड्डे को प्वाइंट ऑफ कॉल लिस्ट में भी शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री के. मुरलीधरन (वडकारा): मैं कन्नूर और कालीकट हवाई अड्डों से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ानों को अक्सर रद्द किए जाने का मामला उठाना चाहता हूँ। हवाई यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हवाई यात्री अब कोचीन और मैंगलोर हवाई अड्डों पर निर्भर हैं, जो केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र के विभिन्न जिलों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बहुत दूर हैं। कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इस हवाई अड्डे से अब केवल दो एयरलाइंस काम कर रही हैं। उड़ानों की संख्या कम होने और किराया बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस अपनी सेवाओं का संचालन नहीं कर रही हैं। किसी भी प्रकार के विमान को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए पर्याप्त जगह वाला विस्तृत रनवे और सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त टर्मिनल होने के बावजूद हवाई अड्डा उपेक्षित है। पहले एयर इंडिया कालीकट हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान संचालित कर रही थी लेकिन दुर्भाग्य से यह उड़ान भी मार्च 2023 से रद्द कर दी गई है कन्नूर हवाई अड्डे को प्वाइंट ऑफ कॉल सूची में शामिल करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय को कई अभ्यावेदन दिए गए हैं लेकिन यह अनुरोध अभी भी लंबित है। अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कन्नूर और कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई गंतव्यों तक अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए एयर इंडिया एयरलाइंस और अन्य निजी एयरलाइनों को निर्देश दिये जाएँ और कॉल लिस्ट में कन्नूर हवाई अड्डे को भी शामिल किया जाए।

(उन्नीस)विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति के लिए एक समय सीमा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. रामलिंगम (मईलादुथुरई):यह आवश्यक है कि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, राज्यपाल सहमति को रोक सकते हैं परंतु अनिश्चित काल के लिए नहीं। हालांकि, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि विधेयकों को बिना किसी कारण के अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है जो लोगों की इच्छा की उपेक्षा किए जाने के समान है। विधान सभा द्वारा पारित विधेयक पर सहमति को रोकने का अर्थ आम तौर पर यह माना जाता है कि विधेयक समाप्त हो गया । इस प्रकार, किसी विधेयक पर सहमति रोकना विधायिका की इच्छा को पूरी तरह से नकारना है और इस प्रकार यह लोगों की इच्छा को भी नकारने के समान है। उसी के मद्देनजर, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस संवैधानिक गतिरोध का विश्लेषण करे और उचित कार्रवाई करे और विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देने के लिए राज्यपाल के लिए एक समयसीमा निर्धारित करे ।

(अनुवाद)

(बीस) दक्षिण बारासात रेलवे स्टेशन पी.डब्ल्यू.डी. रोड से ध्रुबचंद हालदार कॉलेज तक की सड़क को रेलवे मेंटेनेंस मैप के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने और सड़क के पुनर्निर्माण के लिए निधि भी जारी किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिमा मंडल (जयनगर): मैं यह बताना चाहती हूँ कि मैंने दक्षिण बारासात रेलवे स्टेशन पी.डब्ल्यू.डी. रोड से ध्रुबचंद हालदार कॉलेज तक एक ब्लैक टॉप रोड के निर्माण के लिए अपने एम पी एल ए डी. फंड से लगभग 40 लाख रुपये खर्च किए थे। उक्त सड़क रेलवे के अधिकार क्षेत्र में है। रोजाना हजारों की संख्या में यात्री इस सड़क का उपयोग करते हैं। लेकिन सड़क जर्जर हो गई है और इसका एक मुख्य कारण यह है कि सड़क के एक तरफ दो बड़े जल निकाय हैं, जिससे सड़क के नीचे की मिट्टी का कटाव होता है और सड़क के उचित रखरखाव में भी बाधा आती है। जिन दो जलाशयों की बात की जा रही है, वे भी रेलवे की संपत्ति हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस सड़क को रेलवे मेंटेनेंस मैप के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और स्थानीय लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त सड़क के पुनर्निर्माण के लिए जल्द से जल्द धनराशि जारी की जाए।

(इक्कीस) अनकापल्ले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापित किए जाने के बारे में

डॉ बीसेट्टी वेंकट सत्यवती (अनकापल्ले): भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त सड़क सुरक्षा ऑडिट करने और ऐसे ब्लैक स्पॉट या क्षेत्रों को खत्म करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं जहां अक्सर घातक दुर्घटनाएँ होती हैं। एन.सी.आर.बी. डेटा के आधार पर, प्रत्येक वर्ष भारत में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लगभग 1.5 लाख मौतें होती हैं। आंध्र प्रदेश में , प्रतिवर्ष लगभग 25,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप 12,000 से अधिक मौतें होती हैं और अनेक लोग गंभीर रुप से घायल होते हैं। आँकड़ों से पता चलता है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हर घंटे अठारह लोगों की मौत हो जाती है। देश के विभिन्न शहरों, राज्यों और कस्बों में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र थोताड़ा जंक्शन और पुरुषोत्तमपुरम में दो ब्लैक स्पॉट हैं। इसलिए, मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि आंध्र प्रदेश में मेरे अनकापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिला अस्पताल अनकापल्ली के लिए और सी.एच.सी. नक्कापल्ली के लिए ट्रॉमा केयर सेंटर्स को मंजूरी दी जाए।

(बाईस) बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खमगांव और जलना के बीच रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

(हिंदी)

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): मेरा संसदीय क्षेत्र बुलढाणा एक अति पिछड़ा हुआ जिला है। में माननीय रेल मंत्री जी का ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूँ कि खामगांव - जालना रेलवे मार्ग की स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र देने की कृपा करें । इस संबंध में डीपीआर भी हो चुका है और महाराष्ट्र सरकार ने भी 50 प्रतिशत भागीदारी की स्वीकृति दे दी है। इसका आश्वासन मेरे लोक सभा क्षेत्र में अपनी चुनाव रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी दिया गया था। इस संबंध में विगत 29 अप्रैल 2023 को एक मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें छोटी-मोटी खामियों को सुधार हेतु कहा गया है। इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों को शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही हेतु निर्देशित करने की कृपा करें। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र/जनपद बुलढाणा में खामगांव - जालना रेलवे मार्ग की स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र देने की कृपा करें। धन्यवाद।

(तेइस) गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम मेंसंसद एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को शामिल किए जाने के बारे में

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जाता है। जिसे भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजा जाता है तथा इसकी एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी भेजी जाती है। इसी प्रकार, हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के परामर्श से स्वतंत्रता दिवस मनाये जाने के संबंध में निर्देश जारी करता है। ये निर्देश सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को दिए जाते हैं। इन निर्देशों का आधार लम्बे समय से चली आ रही परम्परा है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी; राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, जिला स्तर पर मंत्री/आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल/ब्लॉक स्तर पर मंत्री/उप-मंडल मजिस्ट्रेट; पंचायत मुख्यालय/बड़े गांवों के स्तर पर सरपंच/ग्राम प्रधान, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, लेकिन लोक सभा/राज्य सभा/ विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रोटोकोल में शामिल नहीं किया जाता है। अत: मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि लोक सभा/राज्य सभा/ विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों को जिला स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय पर्वों (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस) पर ध्वजारोहण के प्रोटोकॉल में शामिल किया जाए तथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए निर्देश जारी किये जायें।

(अनुवाद)

(चौबीस) एस.सी, एस.टी, ओ.बी.सी., एस.ई.बी.सी, और ई.डब्ल्यू.एस. छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में

श्रीमती मंजुलता मंडल (भद्रक): मैं माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का ध्यान एस.सी, एस.टी, ओ.बी.सी., एस.ई.बी.सी. और ई.डब्ल्यू.एस. छात्रों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दिये जाने की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। पहले चरण में मंत्रालय के विनिर्देशों के अनुसार, छात्रावास के छात्रों के लिए 40% राज्य हिस्सेदारी और टॉप अप रखरखाव भत्ता और दूसरे चरण में केंद्र सरकार का 60% हिस्सा मंत्रालय द्वारा सीधे छात्रों के खाते में जमा किया गया। इसके अलावा, एन.सी.वी.टी. मानक के अनुसार शिक्षा/प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और बाजार में मूल्य वृद्धि के कारण , दिन-ब-दिन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, छात्रों के लिए निर्वाह करना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति राशि को दोगुना किया जाए।

(पच्चीस) उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के बारे में

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): मैं उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह बड़ी चिंता का विषय है कि पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 36(1) के अंतर्गत पंजीकृत औकाफ की संख्या के बारे में उपलब्ध जानकारी में खातों की लेखा परीक्षा के दौरान बहुत विसंगतियाँ सामने आई हैं। सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड द्वारा उन लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान औकाफ़ों के लिए खातों और लेखा परीक्षित खातों के अलग-अलग विवरण जमा करने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए लेखा परीक्षकों के पैनल में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संख्या और उन्हें मिलने वाले पारिश्रमिक के संबंध में भी पर्याप्त जानकारी नहीं दी गयी है। इन पहलुओं की और जांच किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसी जानकारी का खुलासा करने में पारदर्शिता की कमी प्रकटन की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले की पूरी तरह से जांच करने और पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए औकाफ डेक्लेरेशन्स की संख्या के साथ-साथ लेखापरीक्षा प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चयनित मामलों की कुल संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए।

(छब्बीस) विकास योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित स्थानीय निकायों की बैठक में संसद सदस्यों द्वारा नामित प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

(हिंदी)

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर) : ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शहरी विकास और आवासन मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय सदैव प्रयासरत हैं एवं अनेक योजनाओं को लागू कर रही है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद एवं नगर निगम की बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पदेन सदस्य के रूप में माननीय सांसद एवं विधायक भी सम्मिलित होते हैं । बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 एवं नगर विकास अधिनियम/नियमावली के अनुसार उपर्युक्त बैठकों में भाग लेने के लिए माननीय सांसद अपने प्रतिनिधि को मनोनीत नहीं कर सकते हैं। एक सांसद के रूप में लगभग हमारे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत 202 ग्राम पंचायत, 2 नगर परिषद, 5 नगर पंचायत और 1 नगर निगम आते हैं । संसदीय कार्यों की व्यस्तता के कारण इन सभी महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेना संभव नहीं हो पाता है । कभी-कभी तो संसद के प्रस्तावित सत्रों के कार्य दिवस पर बैठक आहूत की जाती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बिहार सरकार संवाद कर उपर्युक्त अधिनियम/नियमावली में संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव लाए, और सांसदों द्वारा मनोनीत सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए अधिकृत किया जाए ।

(अनुवाद)

(सत्ताईस) फसल बीमा योजना को लागू करने और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई किए जाने की आवश्यकता '

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): बागवानी क्षेत्र का जम्मू और कश्मीर के जी.डी.पी. में 8.2 प्रतिशत से अधिक का योगदान होता है। शोपियां में कई बार बारिश के बाद ओलावृष्टि हुई, जिससे कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में बगीचों को काफी नुकसान पहुंचा। सेब, चेरी और नाशपाती से लदे पेड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा है जिससे लगभग 45 लाख किसानों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। अनुमानों के अनुसार, आपदा से सेब उद्योग को 200 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है। यहाँ यह बताना प्रासंगिक है कि पिछले साल एन.एच-44 के बंद होने और वाशिंगटन सेब के आयात शुल्क में 20 प्रतिशत की कटौती के कारण फल उद्योग को पहले ही भारी नुकसान हुआ है। इस घटना के आलोक में, फसल बीमा योजनाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि वे प्राकृतिक आपदाओं या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। जम्मू-कश्मीर की फ्रूट एसोसिएशन नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग कर रही है. सरकार को हस्तक्षेप करने और प्रभावित किसानों को सहायता पैकेज देने तथा पेड़ों या रूट स्टॉक को कवर करने वाली फसल बीमा योजना लागू करने की सख्त आवश्यकता है।

(अट्ठाईस) डी.सी. रेलगाड़ी को फिर से शुरू करने और गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न ट्रेनों को ठहराव प्रदान करने की आवश्यकता

(हिंदी)

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह): धनबाद - मुंबई, गिरीडीह- कोलकाता, गिरीडीह-पटना के लिये नई ट्रेन शुरू की जाए। गिरीडीह लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए यह बहुत ज़रूरी है। तेलो स्टेशन में ट्रेन स० 13319/13320 दुमका बैद्यनाथ धाम राँची इंटरसिटी एक्सप्रेस एवं 18625/18626 हटिया पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस का ठहराव होता था, लेकिन कोरोना अवधि से दोनों ट्रेनों का ठहराव बंद है। डीसी ट्रेन का परिचालन शुरू कराया जाए। क्षेत्र की जनता खासकर विद्यार्थियों, दिहाड़ी मजदूरों, ग्रामीण आबादी जो हाट बाजार के लिए इस पर निर्भर हैं, उनको सुविधा व राहत मिलेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस राँची हटिया कुर्ला एक्सप्रेस 08609-10 और हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस 02385-86 का ठहराव पारसनाथ स्टेशन में हैं। गोमो स्टेशन में पूर्वा एक्सप्रेस 12381, 12382, जोधपुर एक्सप्रेस 12308, 12307 और लालकुआं एक्सप्रेस (साप्ताहिक) का ठहराव दिया जाए। इन ट्रेनों के ठहराव होने से बोकारो, चंद्रपुरा, बेरमो, बाघमारा, तोपचांची, गोमो और गोमिया तक की बड़ी आबादी लाभान्वित होगी और रेल के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। गिरिडीह लोकसभा के लोगों की वर्षों की इन माँगो को अनदेखा ना किया जाए क्योंकि इससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे है। और पहले से चल रही ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर देने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है।

माननीय सभापति : श्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर जी।

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.14 बजे</u>

<u>(अनुवाद)</u>

<u>मंत्रियों के वक्तव्य...जारी</u>

(2) भारत की विदेश नीति में नवीनतम घटनाक्रम

विदेश मंत्री (डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस गरिमामय सदन को 6अप्रैल 2023 को समाप्त हुए बजट सत्र के पश्चात भारत के प्रमुख विदेश नीति संबंधी कार्यकलापों और पहलों से अवगत कराना चाहता हूं।... (*व्यवधान*)

इस अवधि में भारत और विदेशों में माननीय राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय प्रधान मंत्री की विदेशी समकक्षों के साथ बातचीत सहित कई महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय राजनयिक गतिविधियां हुईं। मैंने स्वयं और हमारे राज्य मंत्रियों ने अनेक देशों की यात्रा की। और हमने भारत में अपने कई विदेशी सहयोगियों का स्वागत किया। अनेक स्तरों पर किए गए इन प्रयासों के माध्यम से, एक अस्थिर और अनिश्चित विश्व में हम अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों और हितों को आगे बढ़ाने में सफल हुए। … (*व्यवधान*)

माननीय राष्ट्रपति की राजनयिक व्यस्तताओं के संदर्भ में, उन्होंने 29 से 31 मई के दौरान कंबोडिया के महाराज की भारत की पहली राजकीय यात्रा पर उनकी मेजबानी की। भारत और कम्बोडिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वीं वर्षगांठ मनायी जा रही है और यह यात्रा उसी का एक भाग है। भारत की माननीय राष्ट्रपति जून में लैटिन अमेरिका के सूरीनाम में भारतीयों के आगमन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की मुख्य अतिथि थीं। उन्हें सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान - 'द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार' से सम्मानित

किया गया। माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि यह सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। माननीय राष्ट्रपति ने उसी महीने सर्बिया का भी दौरा किया।

माननीय उपराष्ट्रपति ने किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए 5 और 6 मई को यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया। उन्होंने जर्मनी, इजरायल और ब्राजील के राष्ट्रपतियों सहित विभिन्न नेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने भारतीय छात्रों और प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। जून में, माननीय उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में जिम्बाब्वे और गाम्बिया के अपने समकक्षों से मुलाकात की और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक औफ़ द कांगो (डीआरसी) के उप प्रधान मंत्री की अगवानी की।

इस अवधि के दौरान, माननीय प्रधान मंत्री ने सात देशों का दौरा किया और इनमें से प्रत्येक यात्रा उल्लेखनीय रही है और सभी माननीय सदस्यों द्वारा इसकी सराहना की जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की द्विपक्षीय यात्राएं की गईं। माननीय प्रधान मंत्री ने जापान में क्वाड और जी7 बैठकों में भाग लिया, और उन्होंने पापुआ न्यू गिनी में 3तीसरे एफ.आई.पी.आई.सी. शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। उन्होंने नई दिल्ली में नेपाल के प्रधान मंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति की भी मेजबानी की।

माननीय सभापति महोदय, 20 से 23 जून के दौरान प्रधान मंत्री ,नरेंद्र मोदी का संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिकारिक राजकीय दौरा किसी भारतीय प्रधान मंत्री का केवल दूसरा ऐसा दौरा है। उन्हें दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का विशेष सम्मान भी दिया गया। वे एकमात्र भारतीय प्रधान मंत्री हैं जिन्हे दो बार ये अवसर मिला है। वाशिंगटन डी.सी .में माननीय प्रधान मंत्री का व्हाइट हाउस में औपचारिक राजकीय स्वागत किया गया। अमेरिकी सरकार ने उनके स्वागत में विशेष रूप से लगभग 8000 प्रवासी भारतीयों को आगमन समारोह के लिए आमंत्रित किया था। माननीय प्रधानमंत्री ने 22 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस में माननीय प्रधान मंत्री के सम्मान में राजकीय रात्रिभोज और निजी रात्रिभोज का आयोजन किया। प्रधान मंत्री ने टेक कंपनियों के सी.ई.ओ. के

साथ व्यक्तिगत रूप से और एक गोलमेज बैठक के दौरान भी बातचीत की जिसकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उन्होने सह-अध्यक्षता की। उन्होंने, उन्हें भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करने और कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। प्रधान मंत्री ने युवा उद्यमियों को संबोधित किया और प्रथम महिला डॉ. जिल बाइडेन के साथ एक कौशल और नवाचार बैठक में भाग लिया।

महोदय, यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण यात्रा सिद्ध हुई और मैं संयुक्त बयान में दिये गए प्रमुख परिणामों को उजागर करना चाहता हूँ। वे हैं:

(एक) दोनों पक्ष विशेष रूप से क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (आई.सी.ई.टी) पहल के माध्यम से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, क्वांटम और दूरसंचार पर केंद्रित है। भारत को खनिज सुरक्षा साझेदारी में एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज की सतत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में तेजी लाना है। (*व्यवधान*)

(दो) रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप के तहत, दोनों देशों के रक्षा उद्योगों और स्टार्ट-अप्स ने सह-उत्पादन और अन्य गतिविधियों में भागीदारी के अपने आशय की घोषणा की। एक अमेरिकी कंपनी जी.ई. एयरोस्पेस ने घोषणा की कि वे हमारे हल्के लड़ाकू विमान के स्वदेशी उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में जेट इंजन का निर्माण करेंगे। … (*व्यवधान*)

महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले 40 वर्षों से एक देश के रूप में हम इंजन निर्माण आरंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, इस यात्रा की यह उपलब्धि ऐसी है जिसकी देश को सराहना करनी चाहिए।

… (*व्यवधान*)

(तीन) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के सिविल अन्वेषण में सहयोग के लिए यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के साथ आर्टेमिस एकोर्ड्स पर हस्ताक्षर किए।

… (*व्यवधान*)

नासा और इसरो ने घोषणा की कि वे मानव अंतरिक्ष उड़ान में सहयोग करेंगे और 2024 तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संयुक्त प्रयास शुरू करेंगे।

(चार) दोनों देशों ने पारस्परिक रूप से सहमत समाधानों के माध्यम से डब्लू टी ओ में लंबित छह द्विपक्षीय व्यापार विवादों का समाधान किया। यह व्यापार संबंधी मामलों को सुलझाने का एक बहुत ही अलग और अनूठा तरीका है और इस पर सदन को ध्यान देना चाहिए और इसकी सराहना करनी चाहिए। दोनों देश हमारे संबंधित एस.एम.ई. के बीच सहयोग को मजबूत करने और नवाचार संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। … (*व्यवधान*)

(पांच) सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, अमेरीका की तीन बहुत प्रसिद्ध कंपनियों ने भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा बनाने और भारतीय इंजीनियरों और कार्यबल को प्रशिक्षण देने की भी घोषणा की।

… (*व्यवधान*)

(छह) दूरसंचार क्षेत्र में दोनों पक्ष एक द्विपक्षीय विश्वसनीय नेटवर्क/ट्रस्टेड सोर्सेज़ फ्रेमवर्क के लिए सहयोग करने , यूएस रिप एंड रिप्लेस प्रोग्राम में भारतीय कंपनियों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करने ; और ओ.आर.ए.एन रेसिप्रोकल पायलट परियोजनाएँ शुरू करने पर सहमत हुए । भारत और अमेरिका हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग में तेजी लाने पर भी सहमत हुए। … (*व्यवधान*)

(सात) सभी माननीय सदस्यों को सहयोग के इस विशेष क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे 4.4 मिलियन प्रवासी भारतीय हैं और अमेरिका ने बेंगलुरु और अहमदाबाद में दो नए वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया है ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच सम्बन्धों को और गहरा किया जा सके। भारत भी इस साल के अंत में सिएटल में एक नया वाणिज्य दूतावास शुरू करने और वाणिज्य दूतावासों के लिए दो अन्य स्थानों की तलाश करने के लिए भी कदम उठाएगा। … (*व्यवधान*)

(आठ) हम शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने पर सहमत हुए और संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से तस्करी की गई 105 प्राचीन वस्तुओं को वापस करने पर यू एस ने सहमति व्यक्त की।

… (*व्यवधान*)

(नौ) स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक के हमारे साझा दृष्टिकोण को देखते हुए, हम हिंद महासागर वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए और अमेरिका द्वारा हमारी इंडो-पैसिफिक महासागर पहल का समर्थन किया जाएगा। ... (*व्यवधान*)

(दस) भारत और अमेरिका डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों में हमारे सहयोग को भी मजबूत करेंगे। ... (*व्यवधान*)

महोदय, मुझे लगता है कि सभी माननीय सदस्यों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में हुआ। इसमें 135 देशों के लोगों ने भाग लिया जो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है यानी अतीत में किसी एक आयोजन में इतने देशों के लोगों ने अब तक भाग नहीं लिया था। … ... (*व्यवधान*)

इससे पहले, प्रधानमंत्री ने 20 मई 2023 को हिरोशिमा में जी 7 शिखर सम्मेलन और क्वाड नेताओं की बैठक में भाग लिया। (*व्यवधान*) क्वाड बैठक में, नेताओं ने इंडो-पैसिफिक में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और अपनी प्राथमिकताओं पर आगे काम करने के लिए क्वाड के लिए उपलब्ध अवसरों पर चर्चा की। (*व्यवधान*) उन्होंने क्वाड नेताओं का विज़न स्टेटमेंट जारी किया... (*व्यवधान*) उन्होंने एक नई स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पहल, एक क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप कार्यक्रम, केबल कनेक्टिविटी और रेसिलियन्स के लिए क्वाड साझेदारी की घोषणा की और हम पलाऊ में पैसिफिक के मध्य में पहली ओ.आर.ए.एन. डिप्लौयमेंट के लिए मिलकर काम करेंगे... (*व्यवधान*)

नेताओं ने हमारे मेरिटाइम डोमेन जागरूकता पहल पर हुई प्रगति की समीक्षा करने के अलावा महत्वपूर्ण और उभरते प्रौद्योगिकी मानकों पर एक क्वाड वक्तव्य जारी किया... (*व्यवधान*) उन्होंने क्वाड निवेशकों का एक नेटवर्क लॉन्च किया... (*व्यवधान*) मुझे सदन को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री ने 2024 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए सभी क्वाड नेताओं को भारत में आमंत्रित किया है। (*व्यवधान*)

माननीय प्रधानमंत्री ने जी 7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लिया। (*व्यवधान*) उन्होंने 14 राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ बैठकें कीं... (*व्यवधान*) विवरण मेरे वक्तव्य में है......... (*व्यवधान*)

ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक यात्रा के संबंध में प्रधानमंत्री ने 24 मई को अपने समकक्ष के साथ बैठक की। प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी व्यवस्था पर हस्ताक्षर करना यात्रा के मुख्य बिन्दुओं में से एक था . . (*व्यवधान*) यह छात्रों का सहयोग करने और वैश्विक स्तर पर रोजगार की संभावनाओं का पता लगाने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है... (*व्यवधान*)

अपनी यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री ने कई सार्वजनिक हस्तियों के साथ बातचीत की... (*व्यवधान*) उन्होंने एक बिजनेस राउंड टेबल में भाग लिया और भारतीय समुदाय को संबोधित किया। (*व्यवधान*) मुझे लगता है कि हम सभी को इसे व्यक्तिगत रूप से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ... (*व्यवधान*) हम में से कई लोगों ने इसे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अपने देश में देखा। (*व्यवधान*) निश्चित रूप से, यह किसी भी शासनाध्यक्ष की ऑस्ट्रेलिया की सबसे यादगार यात्राओं में से एक थी... (*व्यवधान*) मुझे लगता है कि कई माननीय सदस्यों को याद होगा कि प्रधान मंत्री अल्बनीज़ ने प्रधान मंत्री मोदी का स्वागत करते हुए उन्हें 'बॉस' कहा था... (*व्यवधान*) मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री ने ब्रिस्बेन में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करने के हमारे इरादे की घोषणा की जिससे विदेशों में भारतीयों के साथ-साथ एन.आर.आई. भी लाभान्वित होंगे ... (*व्यवधान*)

महोदय, मैं अब प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। (*व्यवधान*) वे बैस्टिल डे परेड में विशेष अतिथि थे। यह फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। ... (*व्यवधान*) यह हमारी 26 जनवरी की तरह है... (*व्यवधान*) उसमें पंजाब रेजिमेंट सहित भारत केएक सैन्य दस्ते ने भाग लिया जिसमें सेना के तीनों अंग शामिल थे (*व्यवधान*) पंजाब रेजिमेंट का फ्रांस से जुड़ा महान इतिहास है... (*व्यवधान*) इसने विश्व युद्ध के दौरान पेरिस की रक्षा करने में मदद की थी। (*व्यवधान*) प्रधान मंत्री को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया... (*व्यवधान*) यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। (*व्यवधान*)

उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों चेम्बर्स के प्रमुखों और भारतीय और फ्रेंच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों साथ बैठकें कीं और हमने मासे में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करने की घोषणा की। (*व्यवधान*) हमने अपनी रणनीतिक साझेदारी के बारे में एक विज़न दस्तावेज़ भी जारी किया जो 2047 तक प्रभावी रहेगा... (*व्यवधान*)

वापसी में प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया. . . (*व्यवधान*) अबू धाबी में, उन्होंने यू.ए.ई. के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद के साथ बातचीत की और इसके तीन बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए - हमारी राष्ट्रीय मुद्राओं में ट्रेड सेटलमेंट , केंद्रीय बैंकों के भुगतान को परस्पर जोड़ना और अबू धाबी में आई.आई.टी दिल्ली के एक परिसर की स्थापना... (*व्यवधान*)माननीय प्रधान मंत्री ने सी.ओ.पी-28 के मनोनीत अध्यक्ष से भेंट की क्योंकि उस सभा में हमारी बहुत उल्लेखनीय भूमिका होगी। (*व्यवधान*)

महोदय , इस यात्रा से एक महीना पहले, माननीय प्रधान मंत्री ने मिस्र की राजकीय यात्रा की थी । यह 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की और हमारे संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" तक बढ़ाया। हमने कृषि, स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण और प्रतिस्पर्धा कानूनों के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हमने दिल्ली-काहिरा के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की और

काहिरा में इसके उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की। महोदय, एक विशेष समारोह में, - यह सभी भारतीयों के लिए, इस सदन के सभी सदस्यों के लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि प्रधान मंत्री को 'ऑर्डर ऑफ द नील' से सम्मानित किया गया, जो मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है।... (*व्यवधान*)

इस अवधि के दौरान एक और उल्लेखनीय बात हुई। 22 मई 2023को पोर्ट मोरेस्बी में पापुआ न्यू गिनी के साथ संयुक्त रूप से भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के 3तीसरे शिखर सम्मेलन की भारत ने सह-मेजबानी की। जब माननीय प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो उनका बहुत गर्मजोशी और शिष्टता से स्वागत किया गया। और, महोदय, मुझे लगता है, सभी सदस्यों ने देखा होगा कि कैसे पापुआ न्यू गिनी के प्रधान मंत्री ने भारत में पारंपरिक तरीके से हमारे माननीय प्रधान मंत्री को व्यक्तिगत सम्मान दिया। मुझे लगता है, प्रधानमंत्री की दुनिया में स्थिति से वर्तमान में भारत की स्थिति के बारे में बहुत कुछ पता चलता है।

पापुआ न्यू गिनी में अपने प्रवास के दौरान, प्रधान मंत्री को पीएनजी के गवर्नर-जनरल द्वारा ऑर्डर ऑफ लोगोहू के ग्रैंड कंपेनियन, फिजी के प्रधान मंत्री द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया और पलाऊ के राष्ट्रपति द्वारा नेतृत्व और बुद्धिमत्ता की सराहना का प्रतीक चिन्ह एबाकल, भेंट किया गया।। मैं समझता हूं कि महोदय, सदस्यों द्वारा, इस देश के सभी नागरिकों द्वारा इनमें से प्रत्येक भाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उसकी सराहना की जानी चाहिए क्योंकि यह सामूहिक रूप से हम सभी पर अच्छा प्रभाव डालता है। (*व्यवधान*)

एफ.आई.पी.आई.सी. शिखर सम्मेलन के नतीजों पर, महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमने फिजी के सुवा में सतत तटीय और महासागर अनुसंधान संस्थान लॉन्च किया है, जो प्रशांत द्वीप देशों को सशक्त बनाने के लिए डेटा वेयरहाउस है जो भू-स्थानिक डेटा की मेजबानी करेगा। यह पापुआ न्यू गिनी में होगा हमने फिजी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल से लेकर आई.टी. केंद्र, जयपुर फुट कैंप और समुद्री एम्बुलेंस की आपूर्ति तक स्वास्थ्य, आईटी, शिक्षा और सार्वजनिक

वितरण पहल की घोषणा की। इसलिए, आज हमारी विकास साझेदारी कुछ ऐसी है जो इस क्षेत्र के देशों के बीच बहुत गहरा प्रभाव डाल रही है। … (*व्यवधान*)

महोदय, एस.सी.ओ. में शामिल होने के बाद हमने पहली बार राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक की मेजबानी की। यह प्रधानमंत्री द्वारा 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल प्रारूप में किया गया था। उन्होंने कट्टरपंथ का मुकाबला करने और डिजिटल परिवर्तन में सहयोग पर नई दिल्ली घोषणा और दो संयुक्त वक्तव्यों को अपनाया। महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि भारत के राष्ट्रपति पद के दौरान, हमने 15 मंत्री-स्तरीय बैठकें आयोजित कीं, 130 से अधिक संस्थागत बैठकें एक केंद्रित विषय सिक्योर के साथ आयोजित की गई, जो एक संक्षिप्त शब्द था जो हमारी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। … (*व्यवधान*)

महोदय, अब मैं हमारे पड़ोस के बारे में बात करना चाहूँगा। वर्ष 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद निकटतम पड़ोसियों के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी गई है। दो प्रमुख यात्राएँ नेपाल के प्रधान मंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति की थीं। नेपाल के प्रधान मंत्री ने 31 मई से 3 जून तक अपनी यात्रा की। उन्होंने और प्रधानमंत्री ने एकीकृत चेक-पोस्ट, रेलवे लाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन सुविधाओं और ट्रांसमिशन लाइनों सहित छह परियोजनाओं के भूमि-पूजन समारोह में वर्चुअल रुप से भाग लिया। वे रेलवे लाइन के कुर्था-बिजलपुरा खंड को सौंपने के गवाह बने - मुझे पता है, कई सदस्यों की इसमें रुचि होगी - और वे नेपाल से बिजली आयात और भारत के माध्यम से बांग्लादेश को बिक्री पर सहमत हुए। उन्होंने सीमा पेट्रोलियम पाइपलाइन अवसंरचना का विस्तार करने के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। … (*व्यवधान*)

जहां तक श्रीलंका के राष्ट्रपति का सवाल है, यह उनकी वर्तमान पद पर रहते हुए भारत की पहली यात्रा थी। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छी चर्चा की और हमने समुद्री, वायु और ऊर्जा से वित्तीय और लोगों से लोगों के बीच संपर्क के सभी पहलुओं को शामिल किया। … (*व्यवधान*)

हमने ट्रिनकोमाली जिले में, पशुपालन, नवीकरणीय ऊर्जा और उप-इंटरफ़ेस पर विकास परियोजनाओं पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। … (*व्यवधान*) प्रधानमंत्री महोदय ने श्रीलंका में तमिल समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाया और मुझे उम्मीद है कि इस विशेष विषय में रुचि रखने वाले संसद के सदस्यों को यह सुनना चाहिए। … (*व्यवधान*) उन्होंने तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता को दोहराया। उन्होंने 13वें संशोधन को लागू करने और प्रांतीय परिषद चुनाव कराने के महत्व को रेखांकित किया। … (*व्यवधान*) उन्होंने भारतीय मछुआरों के मुद्दे को भी उठाया। महोदय, आप जानते हैं कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे इस सदन में भी अक्सर उठाया जाता है। … (*व्यवधान*) उन्होंने श्रीलंका के लोगों से इस बात को मानवीय आधार पर विचार करने का अनुरोध किया। … (*व्यवधान*)

महोदय, क्या मैं संक्षेप में जी20 के विषय पर बात कर सकता हूं। … (*व्यवधान*) मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मानवता के सामने मौजूद ज्वलंत मुद्दों पर प्रकाश डाला जा रहा है। … (*व्यवधान*) हम मिशन लाइफ, श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने, जलवायु कार्रवाई और विकास के लिए मानव-केंद्रित दृष्टिकोण और जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। … (*व्यवधान*) हमने पूरे भारत में जी20 की कई मंत्रिस्तरीय बैठकें की हैं, जिनमें वाराणसी में विकास मंत्रियों की बैठक और हैदराबाद, गोवा, पुणे, गांधीनगर और चेन्नई में अन्य बैठकें शामिल हैं। (*व्यवधान*) इसलिए, इसलिए, हम भारत की अध्यक्षता को वास्तव में राष्ट्रीय प्रयास बनाने और भारत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के अपने इरादे को साकार कर रहे हैं। … (*व्यवधान*)

महोदय, मैं आपको यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि विदेश मंत्रालय के मंत्री इस अवधि के दौरान बहुत सक्रिय रहे हैं। … (*व्यवधान*)मैंने स्वयं अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की व्यापक यात्रा की है। मेरे सहयोगियों, राज्य मंत्रियों ने भी ऐसा किया है। … (*व्यवधान*) क्या मैं 'ऑपरेशन कावेरी' के बारे में कुछ शब्द कह सकता हूँ। यह एक ऑपरेशन था जो सूडान में सशस्त्र संघर्ष के कारण शुरू किया गया था। … (*व्यवधान*) हमने अपने 4,000 से अधिक नागरिकों को वापस लाने के लिए वायु

सेना और नौसेना दोनों का उपयोग किया। … (*व्यवधान*) इसलिए, एक बार फिर, हमने दिखाया है कि मोदी सरकार दुनिया में कहीं भी, किसी भी संकट के दौरान अपने लोगों को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। (*व्यवधान*)

जहां तक मछुआरों का संबंध है, हम उनमें से 74 को श्रीलंका से और 398 को पाकिस्तान से वापस लाने में सफल रहे हैं। … (*व्यवधान*) तो, अंत में, महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज, भारतीय विदेश नीति अच्छाई और स्थिरता के लिए एक ताकत के रूप में कार्य करती है। (*व्यवधान*) हम अपने राष्ट्रीय हितों की दृढ़ता से रक्षा करते हैं और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं। … (*व्यवधान*)

धन्यवाद महोदय। … (*व्यवधान*)

[ग्रंथालय में रखा गया, संख्या देखें (सं) एल.टी 9721(ए)/17/23]

(हिंदी)

माननीय सभापति : धन्यवाद, माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप इस प्लेकार्ड को नीचे रखिए। आप सब अपने-अपने स्थान पर चले जाइए। मैं आपके नेता श्री अधीर रंजन चौधरी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चर्चा चाहते हैं तो मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं। पहले आप अपने सदस्यों को अपने स्थान पर बैठने के लिए कह दीजिए। अगर हाउस ऑर्डर में होगा तो अनुमति मिलेगी।

... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.33 बजे</u>

(अनुवाद)

इस समय, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, श्री हिबी ईडन और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गए।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल): सर, यह व्यवहार नहीं चलेगा। जब माननीय विदेश मंत्री जी देश के लिए और विश्व के लिए एक संदेश दे रहे थे, उस समय जो इन्होंने किया,... (व्यवधान) अब हम भी अधीर रंजन चौधरी जी को बोलने नहीं देगे। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): गलत कर रहे हैं।... (व्यवधान) मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर रंजन चौधरी जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, वर्ष 1978 में 10 मई को इस सदन में विपक्ष के नेता स्टीफेन साहब मोरार जी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे।... (व्यवधान) और जिस दिन वे अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। ... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.34 बजे</u>

<u>(अनुवाद)</u>

इस समय, श्री गुरजीत सिंह औजला, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट आकर खड़े हो गए।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यह प्रस्ताव स्पीकर महोदय के संज्ञान में है और दस दिनों का समय है।

10 दिनों के समय में स्पीकर साहब जब भी डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से सरकार तैयार है। हमारे पास पूरे मैम्बर्स हैं।… (व्यवधान) देश की जनता मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास कर रही है। जनता को इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है।… (व्यवधान) ये काले कपड़े क्यों पहनकर आए हैं। इन लोगों ने 60 सालों तक ... [9*] किए हैं इसलिए ये काले कपड़े पहनकर आए हैं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[9*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

<u>**अपराह्न 2.37 बजे**</u>

(अनुवाद)

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023
संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित

वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास-आधारित शासन को और बढ़ाने के लिए अपराधों का निरापराधिकरण और सुव्यवस्थित करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदन, पर विचार किया जाए

… (*व्यवधान*)

(हिंदी)

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थित करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए ।"

माननीय सभापति: श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी ।

… (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ… (व्यवधान) मैं इस बिल के बारे में कुछ कहूँ, उससे पहले विपक्ष के मेरे माननीय सदस्यों के बारे में जरूर कुछ कहना चाहूंगा । माननीय सभापति महोदय, जो इनके मन में है, वह तन पर भी दिख रहा है।… (व्यवधान) ये इन कपड़ों के पीछे क्या छिपा रहे हैं? … (व्यवधान) ये इन काले कपड़ों के पीछे क्या छिपा रहे हैं?

इनका दिल भी ... [10]* है, इनके शब्दों में भी ... * है। क्या ... [11]** इनके पास इतना हो गया है कि उसको छिपाने के लिए इन्होंने काले कपड़े पहन रखे हैं?… (व्यवधान) या तो ... ** छिपाने के लिए या इनके ... ** इतने बढ़ गए हैं कि ये अपने ... ** को छिपाने के लिए काले कपड़ों में यहां पर आए हैं। वैसे तो दूसरे सदन में एक माननीय सदस्य के ऊपर भी काले कौवे ने भी अपना ध्यान आकर्षित कर लिया।... (व्यवधान)

सर, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। हम प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के योद्धा है।... (व्यवधान) हम नकारात्मक सोच नहीं रखते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इनके जीवन से भी अंधेरा छटेगा।... (व्यवधान) हमें पूरा विश्वास है कि इनको भी रोशनी दिखेगी। सूरज इनके यहां भी उगेगा और इनके दिल का ... ** खत्म हो जाएगा और एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत के लिए कमल अवश्य खिलेगा।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मंत्री जी, धन्यवाद।

सभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 2.39 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

---

[10]* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[11]कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न तीन बजे पुनः समवेत हुई।

(डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी *पीठासीन हुए*)

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आप बोल दीजिए कि नहीं होगा।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : जनविश्वास विधेयक, 2023.

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, जिन लोगों ने चेयर के ऊपर पेपर फाड़ कर फेंका है, उनको नेम करना चाहिए।… (व्यवधान) यह एक अत्यधिक अनुशासनहीनता का कृत्य है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको ऐसा नहीं करना चाहिए । आपके कई माननीय सदस्यों ने यहां पेपर फाड़ कर चेयर पर फेंका है।… (व्यवधान) मैं समझता हूं कि यह चेयर का अपमान है और लोकतंत्र के मंदिर में आप जैसे वरिष्ठ लोगों का यह व्यवहार ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी ।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, कम से कम आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर को डिसपोज कीजिए।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपना स्थान लीजिए ।

… (व्यवधान)

श्री राजेंद्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक पर बोलने की अनुमति दी है।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, मैंने सूचित किया था … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति : मैं इसके बारे में आपको माननीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार रूलिंग देता हूं। मैं सभा का ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियमों के नियम 198 के उपनियम (2) की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। जिसमें यह उपबंध है कि जब एक बार उक्त नियम के अंतर्गत अनुमति प्रदान कर दी जाती है, तो प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नियत की जाएगी, जो ऐसी अनुमति प्रदान किए जाने के दिन से 10 दिन के भीतर होगी। परंपरा के अनुसार सभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति प्रदान किए जाने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष, सभा के नेता और राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श करते हैं, तथा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख और समय निर्धारित करते हैं। धन्यवाद।

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 3.02 बजे</u>

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023
संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित - जारी

माननीय सभापति : राजेन्द्र अग्रवाल जी ।

श्री राजेंद्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय सभापति जी, आपने मुझे जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठिए ।

... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : अभी काले कपड़ों पर बहुत बात हुई थी। मैं एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं कि साठ के दशक में एक प्रसिद्ध अभिनेता पर काले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोलकाता में स्टैम्पीड हो गया था। मेरा निवेदन है कि कुछ माननीय सदस्यों पर जेंडर न्यूट्रल हो कर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि देश और प्रदेशों में शांति रह सके।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात रखिए ।

… (व्यवधान)

श्री राजेंद्र अग्रवाल : आदरणीय, सभापति महोदय, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 लोक सभा में 22 दिसम्बर, 2022 को प्रस्तुत किया गया था, तथा उसी दिन संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। वरिष्ठ सांसद श्री पी.पी. चौधरी जी की अध्यक्षता में यह समिति बनी तथा मुझे भी सदस्य होने के नाते समिति में सहभागी होने का सौभाग्य मिला।

<u>अपराह्न 3.04 बजे</u>

इस समय, श्री एंटो एंटनी, प्रो. सौगत राय, श्री कौशलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

इस संशोधन विधेयक में छोटे, तकनीकी और प्रक्रिया सम्बन्धी भूल-चूक के लिए दांडिक प्रावधान के भय को दूर कर कारोबार पर बल दिए जाने की परिकल्पना की गयी है। यह विधेयक कारोबारी सुगमता, जीवन यापन सुगम बनाने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में काफी सहायक सिद्ध होगा।… (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, जैसा कि इस बिल के नाम से स्पष्ट है कि जनसामान्य में शासन व्यवस्था के प्रति विश्वास में वृद्धि करने के लिए ईज़ आफ डूइंग बिजनेस – कारोबारी सुगमता के लिए इस बिल को लाया गया है तथा इसमें 42 विभिन्न कानूनों के दंड विधान को संशोधित करके उनको डिक्रिमिनाइज किया गया है।... (व्यवधान) अनेक कानूनों में जुर्माने के स्थान पर अर्थदंड का प्रावधान किया गया है ताकि नागरिकों को कारबारी सुगमता प्राप्त हो सके।... (व्यवधान) 19 मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्धित इन 42 कानूनों में इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, द एनवायर्नमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग) एक्ट यानी ऐसे अनेक बिल्स हैं, जो ब्रिटिश पीरियड से भी पहले के या ब्रिटिश पीरियड के समय के हैं।... (व्यवधान) यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कारोबारी सुगमता के संबंध में वर्ष 2014 से ही निरंतर काम हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 185 देशों की सूची में कारोबारी सुगमता की दृष्टि से वर्ष 2013 में 132वें स्थान के मुकाबले वर्ष 2020 तक हमने 63वें स्थान पर छलांग लगाई थी।... (व्यवधान) इसी क्रम को बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस जनविश्वास बिल को लाया गया है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, संयुक्त संसदीय समिति ने श्री पी.पी. चौधरी जी के नेतृत्व में जनविश्वास बिल में उल्लिखित सभी 42 कानूनों पर एक-एक करके सभी प्रावधानों पर विस्तार **से** चर्चा की, सम्बंधित मंत्रालयों/विभागों को इस चर्चा में सम्मिलित किया गया तथा उन्होंने 17 मार्च, 2023 को संसद में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, जैसा मैंने कहा कि इस बिल में कुछ कानूनों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है ताकि कम्पलायंस बर्डन कम हो सके जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस (ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग) एक्ट, 1937 में कृषि उपज की ग्रेडिंग में गलती किए जाने पर 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान था, जिसे हटाकर आठ लाख रुपये के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।... (व्यवधान) आई.टी. एक्ट, 2000 में भी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर 3 वर्ष के कारावास तथा 5 लाख रुपये जुर्माने या दोनों का प्रावधान था, जिसके स्थान पर 25 लाख रुपये अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।... (व्यवधान) इसी प्रकार अनेक कानूनों में उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। इसी प्रकार अनेक कानूनों में जुर्माने के स्थान पर दंड का प्रावधान किया गया है ताकि उल्लंघन करने पर न्यायालय न जाना पड़े।... (व्यवधान) इससे दंड का कंपलायंस भी शीघ्र होगा तथा न्यायालयों पर कार्य का भार भी कम हो सकेगा।... (व्यवधान) जैसे पेटेंट्स एक्ट, 1970 में ऐसे ही एक लाख रुपये तक के जुर्माने के स्थान पर 5 लाख रुपये के अर्थदंड की व्यवस्था की गयी है।... (व्यवधान)

कुल मिलाकर संयुक्त समिति की सिफारिश के बाद 19 मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्धित 42 केन्द्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों के गैर अपराधीकरण का प्रस्ताव किया गया है।... (व्यवधान) यह सुनिश्चित किया गया है कि सजा की मात्रा और प्रकृति अपराध की गंभीरता के अनुरूप हो । ... (व्यवधान) इन 183 प्रावधानों में 60 प्रावधानों में कारावास और जुर्माने दोनों हटाये जाने का प्रस्ताव है । 47 प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को हटाये जाने का प्रस्ताव है । 3 प्रावधानों में कारावास को हटाये जाने का प्रस्ताव है। 10 प्रावधानों में जुर्माने को हटाया जाना है। 2 प्रावधानों में कारावास को हटाये जाने और जुर्माने को बरकरार रखने का प्रस्ताव है। 7 प्रावधानों में कारावास को हटाये जाने और जुर्माने को बढ़ाने का प्रस्ताव है। 108 प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को पेनल्टी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। 80 प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को पेनल्टी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। 2 प्रावधानों में कारावास को पेनल्टी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। 26 प्रावधानों में जुर्माने को पेनल्टी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।... (व्यवधान) कानून का उल्लंघन बार-बार करने पर अर्थदंड को क्रमशः बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है।... (व्यवधान) इस संशोधन बिल में अर्थदंड निश्चित करने के लिए न्याय निर्णयन (एडजुडिकेटिंग) अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा किसी निर्णय के विरुद्ध अपीलेट में जाने की भी व्यवस्था की गयी है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, 42 कानूनों को संशोधित करके कारोबारी सुगमता को बढ़ाने वाला यह संशोधन बिल जनविश्वास में भी वृद्धि करेगा तथा माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूर्ण करने में सहायक होगा।... (व्यवधान) मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। ... (व्यवधान) मेरा सम्पूर्ण सदन से निवेदन है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण बिल को पास करने का कष्ट करें। ... (व्यवधान)

(अनुवाद)

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती (अनाकापल्ले): माननीय सभापति महोदय, मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। .... (*व्यवधान*)

जैसा कि मुझसे ठीक पहले बोलने वाले संसद सदस्य ने कहा, मैं भी भाग्यशाली हूं कि मैं संयुक्त समिति का सदस्य हूं जिसने जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) विधेयक की जांच की थी। मैं इस महती सभी के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहती हूं। ...... (*व्यवधान*) इस विधेयक का उद्देश्य भारत के 19 मंत्रालयों में 42 कानूनों के लगभग 182 प्रावधानों को गैर-आपराधिक बनाना है। कुछ अधिनियमों के तहत अपराधों को मौद्रिक दंड से बदल दिया जाएगा, जिससे कारावास पर जोर कम हो जाएगा। विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए जुर्माने और दंड को विधेयक के कानून बनने के बाद हर तीन साल में न्यूनतम राशि के 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। ... (*व्यवधान*) विधेयक एक न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित आदेश से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपीलीय तंत्र

को निर्दिष्ट करता है। विशिष्ट समय-सीमा के भीतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जैसे संबंधित प्राधिकारियों के पास अपील दायर की जा सकती है। … (*व्यवधान*)

महोदय, मैं वाई.एस.आर कांग्रेस पार्टी से विधेयक का समर्थन करने के लिए यहां खड़ी हुई हूँ और विधेयक से जुड़ी कुछ प्रमुख चिंताओं को आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ। कारावास को जुर्माने से बदलना वास्तविक गैर-अपराधीकरण नहीं हो सकता है और इसे *अर्ध-अपराधीकरण* कहा जा सकता है क्योंकि जुर्माने में अभी भी निंदा और कलंक का तत्व मौजूद है, जिससे कार्यात्मक मतभेद पैदा होते हैं। विधेयक द्वारा विनियमित अपराधों की संख्या भारत के विशाल नियामक ढांचे की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। विधेयक आर्थिक कानूनों में अति-अपराधिकरण के व्यापक मुद्दों का समाधान नहीं कर सकता है। आर्थिक विधानों में बड़ी संख्या में कारावास की धाराओं को देखते हुए, वास्तविक विनियमन पर विधेयक का प्रभाव सीमित है। … (*व्यवधान*)

महोदय, मैं न्यायिक प्रणाली पर कुछ अनपेक्षित परिणामों को इस प्रतिष्ठित सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। गैर-अपराधीकरण अनजाने में प्रवर्तन के बोझ को आपराधिक न्याय प्रणाली से प्रशासनिक अधिकारियों पर स्थानांतरित कर सकता है, जिससे निर्णय लेने और प्रवर्तन प्रथाओं में संभावित विसंगतियां पैदा हो सकती हैं। … (*व्यवधान*) प्रशासनिक अधिकारियों में आपराधिक न्याय प्रणाली की तुलना में विशेषज्ञता और संसाधनों की कमी है, और विनियमों की व्याख्या और अनुप्रयोग विभिन्न प्रशासनिक निकायों के बीच भिन्न होते हैं। इस प्रकार, असंगत प्रवर्तन से अनुचितता की धारणा पैदा होगी। प्रशासनिक प्राधिकारियों के भीतर संसाधन आवंटन प्रभावित होगा। मामलों की प्राथमिकता गंभीरता के अलावा अन्य कारकों से प्रभावित हो सकती है। … (*व्यवधान*)

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को संतुलित करने के बारे में कुछ शब्द कहूंगी। यद्यपि व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना आवश्यक है, परंतु इसे सार्वजनिक कल्याण, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संबंधी चिंताओं की रक्षा के महत्व पर हावी नहीं होना चाहिए। इसलिए, जीवन जीने और व्यवसाय करने में आसानी

बढ़ाने पर विधेयक का प्रभाव काफी हद तक इसके प्रभावी कार्यान्वयन और हितधारकों की भागीदारी पर निर्भर करेगा। ... (*व्यवधान*)

मैं माननीय मंत्री से हमारे गतिशील नेता श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी *गारू* के नेतृत्व में वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने तथा हमारे सुझावों को ध्यान में का अनुरोध करूंगी। ... (*व्यवधान*)

इसके साथ, मैं बिल का समर्थन करता हूं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।... (*व्यवधान*)

(हिंदी)

श्री मलूक नागर (बिजनौर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । ... (व्यवधान)

इस बिल के बारे में जो समझ में आ रहा है, वह यह है कि जो सजा का प्रावधान था, उसकी जगह आर्थिक दण्ड रखा गया है। यह देश की इकॉनमी के लिए अच्छी बात है। यदि किसी को सजा देकर जेल में डाल दिया जाए, तो वह भी मर सकता है, उसका बिज़नेस भी मर सकता है। इसलिए यह एक अच्छी बात है। ... (व्यवधान)

इसी से संबंधित मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे जितने भी सांसद हैं, जैसे मेरठ से श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी सांसद हैं, जिन्होंने कारोबारियों से संबंधित इस पर पूरी डिटेल में चर्चा की है। इसी तरह के प्रावधानों को किसानों के ऊपर भी लागू किया जाए ताकि देश के 80 परसेंट लोगों का भी विश्वास जीता जाए । जैसे किसानों के लिए एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स फ्री है। वे कृषि से संबंधित जितना भी सामान खरीदते हैं, उन पर जीएसटी लगता है। ... (व्यवधान) मैं कहना चाहूँगा कि उनको भी जीएसटी से फ्री किया जाए। देश में अन्य कई कानून हैं, जिन पर डिबेट की जरूरत है, जैसे रेरा, एनसीएलटी आदि से संबंधित कानून हैं, यदि उनकी डिटेल में जाएं तो कुछ लोगों को बचाने के लिए जो कानून बना है, वह दूसरी जगह बहुत-से लोगों को मार देता है। ऐसा रेरा में भी **है** और एनसीएलटी में भी है। ... (व्यवधान)

अत: मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बिल में और कई सारी चीजें जोड़ी जा सकती हैं, जिससे लोगों को इस पर ज्यादा विश्वास होगा। इसके लिए इसमें और अमेंडमेंट किये जाएं ताकि आने वाले समय में लोगों को यह लगे कि देश की सरकार हमें विश्वास में लेकर काम कर रही है।... (व्यवधान)

बहुत-बहुत धन्यवाद । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री – श्री पीयूष गोयल जी ।

… (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : माननीय सभापति जी, हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि वर्ष 2014 से ही माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लगातार इस देश का विश्वास जीता है, इस देश का दिल जीता है। ... (व्यवधान) वर्ष 2014 में ही माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों के लिए समर्पित है, इस देश के दलितों के लिए समर्पित है, आदिवासियों के लिए समर्पित है, मां-बहन, बेटियों, महिलाओं की चिंता करेगी, युवाओं की चिंता करेगी । … (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, पिछले नौ साल के कार्यकाल में हमने माननीय प्रधान मंत्री जी की अलग-अलग योजनाओं द्वारा देखा कि कैसे उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव आया, कैसे 140 करोड़ भारतवासियों का विश्वास जीता और 140 करोड़ देशवासियों के ऊपर सरकार के लिए विश्वास कायम किया। … (व्यवधान) एक जमाना था, जब सरकार के कानूनों के जाल में, चाहे कोई किसान हो, कोई व्यापारी हो, कोई छोटा उद्योग चलाता हो, एमएसएमई का हो, ये सब वर्षों-वर्षों तक कानूनों के लपेटे में, किसी न किसी छोटी-मोटी गलती के कारण भी इन्हें कोर्ट्स के धक्के खाने पड़ते थे। … (व्यवधान) इतने सारे कानूनों का जाल था । … (व्यवधान) इतने सारे प्रावधान ऐसे थे, जिनके चलते छोटी-मोटी गलती पर भी व्यक्ति को जेल हो सकती थी ।

… (व्यवधान)

ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ सभी कानूनों को पूरे तरीके से एक बार और हमें देखने का आदेश दिया । … (व्यवधान) व्यवस्था किस प्रकार से सरल

हो सकती है? व्यवस्था किस प्रकार से विश्वास के आधार पर व्यापार और कारोबार को बढ़ा सकती है? कैसे सरकार और उपभोक्ता के बीच यह विश्वास का अटूट संबंध और अच्छा किया जाए, इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश में जितने कानून हैं, उनके ऊपर गंभीरता से स्टडी की, उनकी जानकारियां निकालीं, लोगों के बीच में जाकर हमारे जनप्रतिनिधियों ने समझा कि उनको किन चीजों की तकलीफ है? … (व्यवधान) मैं हमारी सरकार के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही साथ सम्माननीय सदस्यों का भी, जिन्होंने हमें काफी फीडबैक दी, काफी सूचनाएं दीं, काफी जानकारियां दीं कि किस प्रकार से एक सामान्य आदमी को रोजमर्रा के जीवन में तकलीफें आती हैं और कैसे हम कानूनों में सुधार करके उन तकलीफों का समाधान कर सकते हैं? … (व्यवधान)

गत नौ वर्षों में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 1,500 ऐसे कानून थे, जो पुराने जमाने से चले आ रहे थे, कई तो गुलामी की मानसिकता रखते थे, वे आजादी से पहले के कानून थे। … (व्यवधान) कई कानून इतने इररैशनल थे, जिनका कोई अता-पता नहीं था, कोई मतलब नहीं था। … (व्यवधान) ऐसे करीब 1,500 कानून पूरी तरीके से रद्द किए गए, रिपील किए गए, जिससे जनता को और लोगों को एक राहत मिली। … (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों से यह बात इसलिए कहूंगा कि वे जरूर जनता तक इस बात को पहुंचाएं। … (व्यवधान) मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 40,000 ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसे प्रोसेस, सरकार के ऐसे दिए हुए प्रावधान थे, जिनमें जनता को तकलीफ पहुंचाने की बहुत सारी संभावनाएं थीं। … (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने गत नौ वर्षों में 40,000 ऐसे कम्पलाएंस बर्डन, जिनकी लोगों को पूर्ति करनी पड़ती है, ऐसे कम्पलाएंस बर्डन को या तो सरल किया या पूरी तरीके से खत्म किया। … (व्यवधान)

एक प्रकार से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे उद्योग और व्यापार को सरल किया जाए और ईज़ ऑफ लिविंग, कैसे सामान्य व्यक्ति के जीवन में और सुविधा पहुँचे और उनको तकलीफ न हो। … (व्यवधान) ऐसे कई सारे प्रावधान, 40 हजार के करीब प्रावधानों का सरलीकरण या पूरी तरह

से रद्द करने का काम हुआ है।... (व्यवधान) इसी क्रम में कई सारे ऐसे प्रावधान देखे, जिसमें छोटी-मोटी गलती पर भी व्यक्ति को कोर्ट के धक्के खाने पड़ते थे।... (व्यवधान) उस कानून व्यवस्था के हिसाब से कोर्ट से अपने आपको मुक्त कराने के लिए उसे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था ।... (व्यवधान) अगर कोई छोटा-मोटा फाइन भी लगना होता है तो वह फाइन कोर्ट के माध्यम से लगने के कारण लोगों को तकलीफ होती थी।... (व्यवधान) कारोबार में बाधाएं आती थीं । ... (व्यवधान) उसके रहते जो डर का माहौल था, जिस डर के कारण हमारे छोटे दुकानदार, हमारे छोटे ठेले वाले, हॉकर्स, हमारे एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले छोटे उद्योग या उद्योग जगत के लोगों को जो तकलीफें आती थीं, ऐसे लगभग 3,600 कानूनों को डीक्रिमिनलाइज यानी उसमें अब उन्हें कोर्ट के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे।... (व्यवधान) कोई छोटी-मोटी गलती हो गई, किसी ने कोई ऐसा छोटा-मोटा अपराध कर दिया, जिसमें कोई गंभीर किसी के ऊपर नुकसान न हुआ हो, तो उन कानूनों को क्रिमिनल न माना जाए।... (व्यवधान) सिविल लायबिलिटी हो।... (व्यवधान) उनके ऊपर जुर्माना अवश्य हो, जिससे वे आगे ऐसी गलती न करें।... (व्यवधान) आगे इस चीज का ध्यान रखें।... (व्यवधान) आगे लोगों को तकलीफ न हो, लेकिन एक फाइन देकर या पेनल्टी देकर उनको सुधार करने का एक और मौका दिया जाए।... (व्यवधान) मैं समझता हूँ कि पूरे देश ने इसका स्वागत किया है।... (व्यवधान) पूरे देश में इस विषय के ऊपर आम सहमति है कि इस सरकार ने देशहित और जनहित को सामने रखते हुए यह जो डीक्रिमिनलाइजेशन का सिलसिला शुरु किया है।... (व्यवधान) अलग-अलग कानूनों में जो 3,600 ऐसे प्रावधान डीक्रिमिनलाइज किए हैं, वह वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम है।... (व्यवधान) इसके लिए मैं आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देता हूँ और उनका साधुवाद करता हूँ।... (व्यवधान) इसी क्रम में फिर एक बार जब हम अलग-अलग कानून लेकर बैठे तो ध्यान में आया कि लगभग 42 ऐसे कानून हैं, 42 एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जिनमें 183 प्रावधान हैं, जिसमें 19 मंत्रालय, 19 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स या मंत्रालय जुड़े हुए हैं।... (व्यवधान) जो लोगों को तकलीफ भी देते हैं।... (व्यवधान) इसमें कई बार गलत काम की भी खबरें आती हैं और छोटी-मोटी गलती के लिए सामान्य कारोबारी

को, सामान्य व्यापारी को, सामान्य उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति को या सामान्य जन-मानस को तकलीफ आती है।... (व्यवधान) ऐसे 42 कानूनों में, जिन्हें ये 19 मंत्रालय या डिपार्टमेंट्स देखते हैं, उनमें 183 प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज किया है और यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है।... (व्यवधान) ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है।... (व्यवधान) यह माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि एक साथ 19 डिपार्टमेंट्स मिलकर इतने सारे कानूनों में डीक्रिमिनलाइज करके सरलता लाई गई है।... (व्यवधान) लोगों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि यह आपने गलती की है, आगे गलती मत करना, इसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी।... (व्यवधान) आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी।... (व्यवधान) दूसरी बार गलती करोगे तो और अधिक पेनल्टी लगेगी ।... (व्यवधान) जो लोग बार-बार गलती करेंगे तो जरूर उनके ऊपर एक्शन हो सकता है।... (व्यवधान) साधारणत: हमारा मानना है कि सामान्य कारोबार करने वाला व्यक्ति, एक जो छोटा काम करने वाला उद्योजक या व्यापारी है, वह ईमानदार होता है।... (व्यवधान) देश के करोड़ों ऐसे ईमानदार व्यापारियों या उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों पर शंका करना इस सरकार की सोच नहीं है।

सभापति जी, हमारी सरकार सभी पर विश्वास करती है। यह सरकार छोटे कारोबारियों को विश्वास के नजरिए से देखती है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों की सूझबूझ, ईमानदारी और विवेक पर विश्वास करते हैं कि वे अच्छा काम करेंगे।... (व्यवधान) यदि उनसे भूल से कोई गलती हो गई, तो उन्हें सुधार का एक मौका मिलना चाहिए। यह सिलसिला इस 'जन विश्वास' कानून के तहत करने का प्रयास शुरू किया गया है। ये ऐसे प्रावधान हैं, जो गंभीर आहत नहीं पहुंचाते हैं या थ्रेट नहीं हैं, जिनके कारण किसी व्यक्ति को सीधे जेल भेजना पड़े। यदि ऐसा कोई प्रावधान हो, जिससे लगे कि गंभीर समस्या पैदा हो सकती है, उसे हमने छुआ नहीं है।... (व्यवधान) सिर्फ ऐसे प्रावधान जो छोटी-मोटी गलती से जुड़े हैं, ऐसे प्रावधानों का सरलीकरण और डीक्रिमिनलाइज करने हेतु सिर्फ पेनल्टी रखी है और दूसरी गलती पर ज्यादा पेनल्टी लगेगी। ऐसे एक कैलिब्रेटेड अप्रोच जिससे लोगों में विश्वास भी बढ़े और छोटे व्यापारी या छोटे उद्योग से जुड़े

व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार न हो। दुर्व्यवहार करने के सिलसिले को कदापि प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार सहन नहीं करती है और चाहती है कि विश्वास के साथ लोगों को देखा जाए।... (व्यवधान)

महोदय, इस कानून को पेश करने के बाद सिलेक्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के तहत जॉइंट कमेटी बनाकर दिया गया। मैं समिति के सदस्यों और चेयरमैन श्री पी.पी. चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके दिन-रात एक करके, लगातार सिटिंग्स करके लगभग 9 सिटिंग्स कम अवधि में कीं। हमने दिसम्बर में बिल लोक सभा में इंट्रोड्यूज किया और आज जुलाई में इसे पास करने जा रहे हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट 20 मार्च, 2023 में लोक सभा में और 17 मार्च, 2023 को राज्य सभा में समय पर पेश हो गई। सिर्फ 90 दिन से कम समय में श्री पी.पी. चौधरी जी और उनकी कमेटी के सदस्यों ने जो मेहनत की उसके लिए मैं उनका साधुवाद करता हूं। कमेटी ने बहुत ही अच्छी रिक्मेंडेशन्स दी हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जहां फाइन रखा है, उसे पेनल्टी बना दीजिए। हमने उसे स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि एडजूडिकेशन मैकेनिज्म और एक एपेलेट अथॉरिटी पेनल्टी की रिकवरी के लिए एस्टेब्लिश की जाए, हमने इस अनुशंसा का सम्मान किया और जो भी समिति की जनरल रिक्मेंडेशन्स थीं, जो साधारणत: 7 अनुशंसाएं थीं, उनमें से छह को हमने स्वीकार किया है।... (व्यवधान) सिर्फ एक प्रावधान है, जिस पर उन्होंने कहा था कि क्यों न यह संशोधित प्रावधान पुरानी जो गलतियां हुईं, वे भी इन्हीं प्रावधानों के तहत देखी जाएं और इन प्रावधानों के तहत उन गलतियों के लिए छूट मिल जाए। हमने जब इसे लीगली एग्जामिन किया तो ध्यान में आया कि इसमें बहुत समस्या है।... (व्यवधान) इसे हम रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं दे सकेंगे। केवल इसी सुझाव को हमने स्वीकार नहीं किया। मैं सभी 31 सांसदों को, जो समिति के सदस्य थे, उन सभी की सराहना करना चाहता हूं क्योंकि जिस गंभीरता और जिस लगन के साथ तथा डिटेल में पूरे एक-एक प्रावधान को गंभीरता से उन्होंने लिया, वह वास्तव में सराहनीय है और मैं उन्हें उनके सुझावों और उनकी इस कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।... (व्यवधान)

जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है, यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा।... (व्यवधान) यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है।... (व्यवधान) हमने ऑलरेडी एक कमेटी बना दी है।... (व्यवधान) एक और कमेटी की अनुशंसा यह भी थी कि हमें आगे और कानूनों को देखने के लिए एक और कमेटी बनानी चाहिए और उस कमेटी के द्वारा आगे के कानूनों को भी देखने का प्रयास करना चाहिए।... (व्यवधान) विधि को अपराधमुक्त करने के लिए कार्य समूह - ऐसी एक कमेटी हमने स्थापित कर दी है।... (व्यवधान) उसमें अलग-अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स को लिया है, लीगल प्रोफेशनल्स को लिया है, कानून के विशेषज्ञों को लिया है, साथ ही साथ अलग-अलग सात मंत्रालय के अधिकारियों को लिया है और अलग-अलग संस्थाएं, जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन सभी की सदस्यता वाली एक कमेटी बनाई है, जो इस सिलसिले को आगे भी चलाएगी।... (व्यवधान)

आज जो यह जन विश्वास बिल है, यह जनता के ऊपर प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, पूरी सरकार और देश का जो विश्वास अटल है, अटूट है, उस विश्वास को दर्शाता है।... (व्यवधान) प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की जो इच्छा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत, विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक बने, उसके लिए मार्ग बनाने का यह एक कानून है।... (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी का यह दृढ़ निश्चय है कि भारत को एक विकसित देश, समृद्ध देश बनाएं, जब हम सब आज़ादी के 100 साल मनाने के लिए वर्ष 2047 में मिलें, तब तक यह देश एक विकसित देश बने, एक समृद्ध देश बने, एक ऐसा देश जिसमें किसी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो, एक ऐसा देश, जिसकी अर्थव्यवस्था विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो, एक ऐसा देश जिसमें कोई व्यक्ति गरीब न हो, एक ऐसा देश जिसमें हर महिला, हर बेटी, हर मां, बेटी का सम्मान हो, एक ऐसा देश, जिसमें हर युवा-युवती को काम करने के अपार अवसर मिलें।... (व्यवधान) उस सपने को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार दिन-रात एक कर रही है।... (व्यवधान) प्रधान मंत्री मोदी जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।... (व्यवधान) जिस प्रकार प्रधान मंत्री मोदी जी न थकते हैं, न रुकते हैं, जिस प्रकार से मोदी जी ने ठान लिया है कि अब देश चल पड़ा है,

अब इस देश को कोई रोक नहीं पाएगा, अब इस देश के 140 करोड़ लोग, उसमें शायद कुछ लोगों को छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपनी कर्तव्य भावना का अहसास नहीं हो रहा है, पर साधारणत: देश के सामान्य जनमानस के दिल में आज एक ही नाम बैठा है, वह है - नरेन्द्र मोदी।... (व्यवधान) नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज यह सरकार इस देश में जो अभूतपूर्व परिवर्तन लाई है, आज जिस प्रकार से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अलग-अलग योजनाओं के द्वारा देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव और सुधार लाया है, इस काम में हम सब सहमति से और एकजुट होकर देश को और आगे ले जाने के काम में लगे हैं।... (व्यवधान) प्रधान मंत्री जी ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास' का जो नारा दिया है, उसको सामने रखते हुए हम विश्वास के आधार पर सरकार चलाएंगे, विश्वास के आधार पर व्यवस्थाएं चलाएंगे और विश्वास के आधार पर इस देश को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाएंगे।... (व्यवधान) आप सब इस बिल का समर्थन करें, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं।... (व्यवधान) आपसे भी मेरा अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण बिल पर आप भी समर्थन दें, जिससे देश में एक स्वर में आवाज़ जाए कि पूरा सदन देश का विश्वास जीतना चाहता है।... (व्यवधान)

बहुत-बहुत धन्यवाद ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थित करने हेतु कतिपय अधिनिमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

खण्ड 3 जुर्माने एवं दण्ड का पुनरीक्षण

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन - संशोधन संख्या 1 और 2.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन - संशोधन संख्या 15 से 17.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : एडवोकेट डीन कुरियाकोस - संशोधन संख्या 19.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

... (व्यवधान)

खंड 4 व्यावृत्ति

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन - संशोधन संख्या 18.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

अनुसूची

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन - संशोधन संख्या 3 से 13.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड1 लघु शीर्ष और प्रारंभ

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन - संशोधन संख्या 14.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री पीयूष गोयल: महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं:

यह विधेयक पारित किया जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>अपराह्न 3.35 बजे</u>

(अनुवाद)

निरसन और संशोधन विधेयक, 2022

माननीय सभापति : आइटम नंबर 16 – निरसन और संशोधन विधेयक

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, आपकी अनुमति से, मैं प्रस्ताव रखता हूं[12*]:

"कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और अधिनियमिति का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

माननीय सभापति:प्रस्ताव पेश किया गया:

"कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और अधिनियमिति का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

… (*व्यवधान*)

(हिंदी)

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के पक्ष में बोल रहा हूं। इस विधेयक के तहत मोदी सरकार का मूल सिद्धांत है:- मिनिमम गवर्नमेंट - मैक्सिमम गवर्नेंस। … (व्यवधान) इसके तहत इन कानूनों को हटाया जा रहा है। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं और वित्तीय एप्रोप्रिएशन के जो कानून हैं, उनको पिरिऑडिकली हटाना ही होता है। कुछ ऐसे पुराने कानून हैं, जिनका आज कोई औचित्य नहीं है, ऐसे कानूनों को हटाने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।… (व्यवधान)

[12*]राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

इसके अलावा, अधिनियम में जो टेक्निकल गलती है, उसको भी सुधारा जा रहा है। ...(व्यवधान) मैं इसका समर्थन करता हूं और इसके पक्ष में अपना मत रखता हूं। धन्यवाद । ...(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, यह बिल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग का हमारा जो कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट पर यह बिल है। ...(व्यवधान) अभी हमारे यूपीए के साथी कह रहे थे कि इसे बिना चर्चा ही पास कर दें।... (व्यवधान) मैं इनकी जानकारी के लिए कह रहा हूं कि यूपीए जब वर्ष 2004 और वर्ष 2014 के बीच शासन में थी, तो इन्होंने एक भी ऐसा बिल, जिसको रिपील किया है, ऐसा नहीं कर पाए। ... (व्यवधान) जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आएं, तो उन्होंने सोचा कि यह भी एक एरिया है, जिसमें हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के नाते नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा कर सकते हैं।... (व्यवधान) होल ऑफ गवर्नमेंट एप्रोच के नाते, उन्होंने देखा कि ऐसे बहुत से बिल हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है।... (व्यवधान) अब तक हम 1486 बिल निरस्त कर चुके हैं। उसके बाद हमने ऐसे और 65 बिल छाँटें, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी।... (व्यवधान) उससे नागरिकों को परेशानी होती थी। कुछ लोग उसको लिस्ट बनाकर रखते थे। उनको भी हमने पिछली बार लोक सभा में इंट्रोड्यूस किया।... (व्यवधान) लेकिन, उसके बाद हम एक ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आए हैं। इसमें 11 ऐसे और बिल थे, जो ब्रिटिश काल के थे और उनकी कोई उपयोगिता नहीं थी। उनको नागरिक भी नहीं जानते थे और वे इससे परेशान भी होते थे।... (व्यवधान) इसलिए, ऐसे टोटल 76 बिल आज हम लेकर आए हैं। अगर हम इन टोटल बिल्स को पास करेंगे तो ऐसे बिलों की संख्या 1562 होगी। यह बड़ी संख्या है।... (व्यवधान)

वर्ष 2014 में जब से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए आई, तब से इन बिलों की संख्या 1562 है। अगर मैं वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक यूपीए का आंकड़ा दूं तो ऐसा एक भी बिल नहीं है।...(व्यवधान) इसका मतलब है कि नागरिक परेशान हो रहे थे और इनको चिंता हीं नहीं थी।...

(व्यवधान) इसकी चिंता मोदी जी को है। इसलिए, ऐसे बिल जो निरर्थक थे, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, उनको हम लेकर आए हैं।... (व्यवधान) मैं अनुरोध करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और अधिनियमिति का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली अनुसूची

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3, पंक्ति 6-7 *के स्थान पर* निम्नलिखित रखें, -

“1850	18	न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850.
1855	28	सूदखोरी विधि निरसन अधिनियम, 1855.
1857	05	ओरियन्टल गैस कंपनी अधिनियम, 1857.
1867	11	ओरियन्टल गैस कंपनी अधिनियम, 1867.
1871	04	कोरोनर अधिनियम, 1871.
1881	16	नाव्य जलपथ बाधा अधिनियम, 1881.

1885	18	भूमि अर्जन (खान) अधिनियम, 1885.
1912	13	दिल्ली विधि अधिनियम, 1912.
1915	07	दिल्ली विधि अधिनियम, 1915.
1922	22	पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1922.
1923	06	छावनी (गृह आवास) अधिनियम, 1923.
1934	15	गन्ना अधिनियम, 1934.
1941	12	दिल्ली भूमि उपयोग निर्बंधन अधिनियम, 1941 आई''आई (3)

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि पहली अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी और तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गईं।

खंड1 लघु शीर्ष

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3, "2022" *के स्थान पर* "2023" रखें। (2)

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

... (व्यवधान)

अधिनियमन सूत्र

<u>संशोधन किया गया:</u>

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, “तिहत्तरवें” *के स्थान पर* “चौहत्तरवें” रखें।   (1)

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित पारित किया जाए।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 3.49 बजे

तत्पशचात् लोक सभा शुक्रवार, 28 जुलाई 2023 / 6, श्रावण 1945 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित